



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
कार्य परिषद की बैठक दिनांक : 09.03.2018 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	प्रो० विजय कृष्ण सिंह	कुलपति / अध्यक्ष
2.	प्रो० गोपीनाथ	सदस्य
3.	प्रो० अजेय कुमार गुप्ता	सदस्य
4.	प्रो० लल्लन यादव	सदस्य
5.	प्रो० शोभा गौड़	सदस्य
6.	प्रो० चन्द्रशेखर	सदस्य
7.	प्रो० सी०पी० श्रीवास्तव	सदस्य
8.	डॉ० रजीउर रहमान	सदस्य
9.	डॉ० (श्रीमती) मधु सत्यदेव	सदस्य
10.	श्री धर्मन्द्र नाथ वर्मा,	सदस्य
11.	डॉ० मानेन्द्र प्रताप सिंह	सदस्य
12.	डॉ० ओंकार नाथ मिश्र	सदस्य
13.	डॉ० अरविन्द कुमार सिंह	सदस्य
14.	डॉ० वीरेन्द्र मणि त्रिपाठी	सदस्य
15.	श्री वीरेन्द्र चौबे	वित्त अधिकारी
16.	कुलसचिव	सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव ने कार्य परिषद के समस्त सम्मानित सदस्यों के साथ—साथ मा० कुलपति जी का स्वागत किया। तत्पश्चात् निवर्तमान सदस्य अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय, अधिष्ठाता, कृषि संकाय, प्रो० ईश्वर शरण विश्वकर्मा, प्रो० राम प्रकाश, प्रो० एस०के० सेनगुप्ता एवं डॉ० स्वयं प्रकाश लाल को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया एवं नवनामित सदस्य अधिष्ठाता, कला संकाय, अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय, प्रो० अजेय कुमार गुप्ता, आचार्य वाणिज्य विभाग, प्रो० लल्लन यादव, आचार्य, भौतिकी विभाग, प्रो० सी० पी० श्रीवास्तव, आचार्य, दर्शनशास्त्र विभाग, डॉ० वीरेन्द्र मणि त्रिपाठी, संत बिनोवा पी०जी० कालेज, देवरिया एवं डॉ० ओंकार नाथ मिश्र, श्री भगवान महावीर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पावानगर, फाजिलनगर, कुशीनगर का स्वागत करते हुए उनसे सहयोग की अपेक्षा की। इसके उपरान्त कुलसचिव ने मा० कुलपति जी के निर्देश पर कार्यसूची विचारार्थ प्रस्तुत किया—

बिन्दु संख्या	प्रस्ताव व निर्णय
1	कार्य परिषद की बैठक दिनांक 15.12.2017 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद ने अपनी बैठक दिनांक 15.12.2017 के कार्यवृत्त को सम्पुष्ट किया।
2	कार्य परिषद की बैठक दिनांक 15.12.2017 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत होना।

	<p>कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 15.12.2017 में लिए गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त किया।</p>
3	<p>कार्य परिषद् ने विश्वविद्यालय में शोध में रिक्त सीटों पर वर्तमान में प्रचलित शोध अध्यादेश के आधार पर प्रवेश लिए जाने के सम्बन्ध में विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में शोध में रिक्त सीटों पर नेट/जे0आर0एफ0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रवेश वर्तमान में प्रचलित शोध अध्यादेश के आधार पर किया जायेगा जबकि अन्य अभ्यर्थियों के प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय में रेट परीक्षा माननीय श्री राज्यपाल महोदय को प्रेषित नए शोध अध्यादेश की संस्तुति प्राप्त होने के बाद आयोजित कराया जायेगा।</p>
4	<p>वित्त समिति की बैठक दिनांक 29.01.2018 की संस्तुतियों पर विचार किया गया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने वित्त समिति की बैठक दिनांक 29.01.2018 की संस्तुतियों को स्वीकार किया।</p>
5	<p>कार्य परिषद् ने विद्यार्थी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदीशपुर बरडीहा, कुशीनगर एवं किसान महाविद्यालय, पैकौली, हाटा, कुशीनगर को NCTE द्वारा जारी पत्र दिनांक 12 जून, 2017 के प्राविधानों के अनुसार बी0एड0 पाठ्यक्रम की मान्यता देने के सम्बन्ध में विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने विद्यार्थी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदीशपुर बरडीहा, कुशीनगर एवं किसान महाविद्यालय, पैकौली, हाटा, कुशीनगर को NCTE द्वारा जारी पत्र दिनांक 12 जून, 2017 के प्राविधानों के अनुसार बी0एड0 पाठ्यक्रम की मान्यता देने के सम्बन्ध में परीक्षण के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया, परीक्षण के पश्चात समिति के द्वारा दिये गये रिपोर्ट के आधार पर उक्त महाविद्यालयों को बी0एड0 पाठ्यक्रम की मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा। मा0 कार्यपरिषद् ने समिति गठित करने के लिए मा0 कुलपति जी को अधिकृत किया।</p>
6	<p>कार्य परिषद् ने प्रबन्धक रेडियन्ट कालेज आफ लॉ, गोरखपुर द्वारा रेडियन्ट कालेज आफ लॉ, मानबेला, मेडिकल कालेज रोड, गोरखपुर को बन्द करने की सूचना एवं पाठ्यक्रम में सम्बद्धता प्राप्ति के निमित्त जमा किये गये प्राभूत से सम्बन्धित धनराशि रुपये 4,00000/- (रु चार लाख मात्र) का एफ0डी0आर0 अवमुक्त करने के हेतु प्रबन्धक द्वारा दिनांक 23.10.2017 को दिये गये आवेदन पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने प्रबन्धक रेडियन्ट कालेज आफ लॉ, गोरखपुर द्वारा रेडियन्ट कालेज आफ लॉ, मानबेला, मेडिकल कालेज रोड, गोरखपुर को बन्द करने की सूचना एवं पाठ्यक्रम में सम्बद्धता प्राप्ति के निमित्त जमा किये गये प्राभूत से सम्बन्धित धनराशि रुपये 4,00000/- (रु चार लाख मात्र) का एफ0डी0आर0 अवमुक्त करने के हेतु प्रबन्धक द्वारा दिनांक 23.10.2017 को दिये गये आवेदन के सम्बन्ध में परीक्षण के लिए एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया। समिति की आख्या प्राप्त होने के पश्चात उक्त महाविद्यालय को बन्द करने एवं प्राभूत से सम्बन्धित धनराशि का एफ0डी0आर0 अवमुक्त करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा। मा0 कार्य परिषद् ने समिति गठित करने के लिए मा0 कुलपति जी को अधिकृत किया।</p>
7	<p>कार्यालय आदेश संख्या दीदउगोविवि/कमेटी/शी0आ0/2017/891 दिनांक 18.12.2017 द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में शैक्षणिक सत्र 2017-18 में शीतावकाश दिनांक 24.12.1017 से 10.01.18 के स्थान पर दिनांक 24.12.2017 से 15.01.18 तक करने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।</p> <p>कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।</p>
8	<p>कार्यालय आदेश संख्या 0036 / सा0प्र0/2018 दिनांक 10.01.2018 द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में प्रो0 एस0 के0 सेनगुप्ता, रसायन शास्त्र के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप प्रो0 राजेन्द्र सिंह, प्राणि विज्ञान विभाग को दिनांक 21.01.2018 से तीन वर्ष अथवा सेवानिवृत्ति की तिथि अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए अधिष्ठाता विज्ञान संकाय के लिए नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।</p>

	कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।
9	कार्यालय आदेश संख्या 0040/सा0प्र0/2018 दिनांक 13.01.2018 द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में डॉ सुष्मिता भट्टाचार्य, अंग्रेजी विभाग की आचार्य पद की अर्हता तिथि दिनांक 27.07.2006 निर्धारित किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।
10	कार्यालय आदेश संख्या 0055/सा0प्र0/2018 दिनांक 20.01.2018 द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में प्रो० एस० के० सेनगुप्ता, आचार्य रसायन शास्त्र विभाग को "शिक्षक श्री पुरस्कार-2017" प्राप्त होने पर उनकी सेवानिवृत्ति तिथि दिनांक 21.01.2018 के पश्चात दिनांक 21.01.2018 से दो वर्ष का सेवा विस्तार प्रदान करने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।
11	कार्य परिषद् ने एम०एस-सी० प्राणि विज्ञान विभाग में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को स्व० कृष्णा स्वरूप, पूर्व विभागाध्यक्ष प्राणि विज्ञान के नाम से गोल्ड मेडल दिये जाने हेतु डॉ० सुनील कुमार श्रीवास्तव, प्राणि विज्ञान विभाग द्वारा दिये गये आवेदन पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने एम०एस-सी० प्राणि विज्ञान विभाग में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को स्व० कृष्णा स्वरूप, पूर्व विभागाध्यक्ष प्राणि विज्ञान के नाम से गोल्ड मेडल दिये जाने हेतु डॉ० सुनील कुमार श्रीवास्तव, प्राणि विज्ञान विभाग द्वारा दिये गये प्रस्ताव को स्वीकार किया एवं आगे आने वाले इस प्रकार के प्रस्ताव के सम्बन्ध में स्पष्ट नियमावली बनाने का निर्णय लिया गया।
12	कार्यालय आदेश संख्या 115/सा0प्र0/2018 दिनांक 30.01.2018 द्वारा कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में प्रो० अनिता माईल्स, आचार्य अंग्रेजी विभाग को आदेश की तिथि से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान करने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।
13	कार्यालय आदेश संख्या 150/सा0प्र0/2018 दिनांक 05.02.2018 द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, इलाहाबाद में अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने के फलस्वरूप प्रो० ईश्वर शरण विश्वकर्मा, आचार्य, प्राचीन इतिहास विभाग को दिनांक 07.02.2018 से 06.02.2019 तक एक वर्ष के लिए असाधारण अवकाश स्वीकृत होने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।
14	कार्यालय आदेश संख्या 262/सा0प्र0/2018 दिनांक 21.02.2018 द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में प्रो० कामेश्वर नाथ सिंह, आचार्य, भूगोल विभाग की नियुक्ति उत्तर प्रदेश राजर्षि टच्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में कुलपति पद पर होने के फलस्वरूप प्रो० कामेश्वर नाथ सिंह को दिनांक 21.02.2018 से 20.02.2019 तक एक वर्ष के लिए असाधारण अवैतनिक अवकाश स्वीकृत होने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।
15	कार्यालय आदेश संख्या 263/सा0प्र0/2018 दिनांक 21.02.2018 द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में प्रो० कामेश्वर नाथ सिंह, आचार्य, भूगोल विभाग की नियुक्ति उत्तर प्रदेश राजर्षि टच्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में कुलपति पद पर होने के फलस्वरूप आचार्य प्रो० शिवाकान्त सिंह, को दिनांक 21.02.2018 से तीन वर्ष अथवा सेवानिवृत्त होने तक अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए भूगोल विभाग का विभागाध्यक्ष नियुक्त करने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।
16	कार्यालय आदेश संख्या 270/सा0प्र0/2018 दिनांक 23.02.2018 द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में प्रो० कामेश्वर नाथ सिंह, आचार्य, भूगोल विभाग के उत्तर प्रदेश राजर्षि टच्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में कुलपति पद पर नियुक्त होने एवं उनके द्वारा एक वर्ष का असाधारण अवैतनिक अवकाश लेने के फलस्वरूप दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ के संचालन हेतु समिति के पुनर्गठन सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।



17	<p>कार्यालय आदेश संख्या 8398/यूजी0सी0/2018 दिनांक 24.02.2018 द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का पुनर्गठन से सम्बन्धित आदेश से अवगत होना।</p> <p>कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।</p>
18	कार्य परिषद् ने अध्यक्ष की अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार किया—
1	<p>कार्यपरिषद् ने विश्वविद्यालय में शिक्षक संघर्ग में विभिन्न पदों पर चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ होने के फलस्वरूप चयन समितियों के अध्यक्ष के रूप में भागीदारी के कारण व्यस्त होने से प्रो0 एस0 के0 दीक्षित, आचार्य, भूगोल विभाग (वरिष्ठ आचार्य) को विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 14 की उप धारा 2 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत प्रति—कुलपति पद पर नियुक्त करने के मा0 कुलपति महोदय के प्रस्ताव पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने विश्वविद्यालय में शिक्षक संघर्ग में विभिन्न पदों पर चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ होने के फलस्वरूप चयन समितियों के अध्यक्ष के रूप में भागीदारी के कारण व्यस्त होने से प्रो0 एस0 के0 दीक्षित, आचार्य, भूगोल विभाग (वरिष्ठ आचार्य) को विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 14 की उप धारा 2 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत प्रति—कुलपति पद पर नियुक्त करने के मा0 कुलपति महोदय के प्रस्ताव को स्वीकार किया।</p>
2	<p>कार्य परिषद् ने स्वर्गीय मोहन सिंह, सांसद की सांसद निधि से निर्भित पूर्वाचल संग्रहालय के संचालन के लिए विश्वविद्यालय बजट में प्रति वर्ष 2 लाख रुपये की धनराशि का प्रावधान करने के लिए प्रो0 रजवन्त राव, अध्यक्ष प्राचीन इतिहास विभाग द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 05.03.2018 पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने स्वर्गीय मोहन सिंह, सांसद की सांसद निधि से निर्भित पूर्वाचल संग्रहालय के संचालन के लिए विश्वविद्यालय बजट में प्रति वर्ष 2 लाख रुपये की धनराशि का प्रावधान करने के लिए प्रो0 रजवन्त राव, अध्यक्ष प्राचीन इतिहास विभाग द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 05.03.2018 पर एक वर्ष तक के लिए रु 2 लाख (रु दो लाख मात्र) की धनराशि का प्रावधान करने का निर्णय लिया गया।</p>
3	<p>कार्य परिषद् ने कुलपति कार्यालय में कार्यरत श्री लाल बहादुर, प्रशासनिक अधिकारी के दिनांक 31.03.2018 में सेवा निवृत्त होने के पश्चात उनके कार्य एवं अनुभव को देखते हुए सेवा निवृत्ति के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदेय पर एक वर्ष तक अथवा अन्य आदेश होने तक, जो भी पहले हो तक कार्य लेने की सहमति हेतु प्रस्तुत पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने कुलपति कार्यालय में कार्यरत श्री लाल बहादुर, प्रशासनिक अधिकारी के दिनांक 31.03.2018 को सेवा निवृत्त होने के पश्चात उनके कार्य एवं अनुभव को देखते हुए सेवा निवृत्ति के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदेय पर एक वर्ष तक अथवा अन्य आदेश होने तक, जो भी पहले हो तक कार्य लेने की अपनी सहमति प्रदान किया।</p>

प्रो0 अजेय कुमार गुप्ता, सदस्य —कार्यपरिषद् द्वारा अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

19/3/18
कुलपति

W.M. 19/3/18
कुलपति



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
कार्य परिषद की बैठक दिनांक : 20.04.2018 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	प्रो० विजय कृष्ण सिंह	कुलपति / अध्यक्ष
2.	प्रो० एस०के० दीक्षित	प्रति—कुलपति
3.	प्रो० गोपीनाथ	सदस्य
4.	प्रो० अजेय कुमार गुप्ता	सदस्य
5.	प्रो० लल्लन यादव	सदस्य
6.	प्रो० शोभा गौड़	सदस्य
7.	प्रो० चन्द्रशेखर	सदस्य
8.	प्रो० सी०पी० श्रीवास्तव	सदस्य
9.	डॉ० रजीउर रहमान	सदस्य
10.	डॉ० (श्रीमती) मधु सत्यदेव	सदस्य
11.	डॉ० मानेन्द्र प्रताप सिंह	सदस्य
12.	डॉ० ओंकार नाथ मिश्र	सदस्य
13.	डॉ० अरविन्द कुमार सिंह	सदस्य
14.	डॉ० वीरेन्द्र मणि त्रिपाठी	सदस्य
15.	श्री वीरेन्द्र चौबे	वित्त अधिकारी
16.	कुलसचिव	सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति जी ने कार्यपरिषद के समस्त सम्मानित सदस्यों एवं प्रति—कुलपति का स्वागत किया। तत्पश्चात् कुलसचिव को बैठक की कार्यसूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कुलसचिव ने कार्य परिषद के सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुए क्रमवार कार्यसूची प्रस्तुत की—

बिन्दु संख्या	कार्यसूची एवं निर्णय
1.	<p>कार्य परिषद की बैठक दिनांक 09.03.2018 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद ने अपनी बैठक दिनांक 09.03.2018 के बिन्दु संख्या (3) पर शोध पंजीकरण के सम्बन्ध में लिए गये निर्णय पर प्रो० एस०के० दीक्षित द्वारा दिनांक 04.04.2018 को दिये गये प्रत्यावेदन पर निम्न संशोधन के साथ कार्यवृत्त को सम्पूष्ट किया।</p> <p>“विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में शोध में रिक्त सीटों पर नेट/जे०आर०एफ० उतीर्ण अभ्यर्थियों का प्रवेश वर्तमान में प्रचलित शोध अध्यादेश के आधार पर किया जायेगा” के स्थान पर “विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में शोध में रिक्त सीटों पर प्रवेश कार्य वर्तमान में प्रचलित शोध अध्यादेश, 2009 के आधार पर किया जायेगा” करने का कार्यपरिषद ने निर्णय लिया।</p>
2.	<p>कार्य परिषद की बैठक दिनांक 09.03.2018 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत होना।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद ने अपनी बैठक दिनांक 09.03.2018 में लिए गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत हुई एवं कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया।</p>
	<p>कार्य परिषद ने अपनी बैठक दिनांक 09.03.2018 के बिन्दु संख्या (3) पर शोध पंजीकरण के संबंध में लिए गये निर्णय पर प्रो० एस०के० दीक्षित द्वारा दिनांक 04.04.2018 को दिये गये प्रत्यावेदन पर</p>

3.	<p>विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद ने निर्णय लिया कि इसके सम्बन्ध में बिन्दु संख्या (1) पर विचार किया जा चुका है इसलिए पुनः विचार करने की आवश्यकता नहीं है।</p>
4.	<p>कार्यपरिषद् ने सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-532/सत्तर-4-2018, दिनांक 16 मार्च, 2018, जो विश्वविद्यालय में समूह ग के कार्मिकों के चयन हेतु उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में है, पर विचार किया।</p> <p>कार्यपरिषद् ने शासन के उपर्युक्त पत्र पर विचार करते निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय एक स्वायत्तशासी संस्था है। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1973 के अनुसार विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार कार्यपरिषद् में निहित है। इसलिए समूह ग में रिक्त कार्मिकों की सूची शासन को भेजते हुए यह अनुरोध किया जाय कि वह विश्वविद्यालय में समूह ग में रिक्त पदों पर विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्ति करने की अनुमति प्रदान करें।</p>
5.	<p>कार्यपरिषद् ने सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-4 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ संख्या-432/सत्तर-4-2018, दिनांक 22 फरवरी, 2018 जो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों में कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के आधार पर तैनाती की व्यवस्था विश्वविद्यालय परिनियमावली में समाहित करने पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-4 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ संख्या-432/सत्तर-4-2018, दिनांक 22 फरवरी, 2018 जो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों में कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के आधार पर तैनाती की व्यवस्था विश्वविद्यालय परिनियमावली में समाहित करने के लिए एक समिति बनाने का निर्णय लिया। समिति बनाने के लिए कार्यपरिषद् ने कुलपति जी को अधिकृत किया।</p>
6.	<p>कार्यपरिषद् ने डॉ० यशवन्त सिंह, वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रोन्नति प्रकरण पर माननीय कुलाधिपति महोदय के आदेश संख्या E-2160/G.S. दिनांक 20.03.2018 एवं उस पर प्राप्त विधिक राय पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने डॉ० यशवन्त सिंह, वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रोन्नति प्रकरण पर माननीय कुलाधिपति महोदय के आदेश संख्या E-2160/G.S. दिनांक 20.03.2018 के आदेश पर लिफाफा खोलने का निर्णय लिया एवं चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार किया।</p>
7.	<p>कार्यपरिषद् ने वित्त समिति की बैठक दिनांक 27.03.2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद ने सत्र 2018-19 हेतु प्रस्तावित बजट को पारित किया एवं वित्त समिति की बैठक दिनांक 27.03.2018 की संस्तुतियों को स्वीकार किया।</p>
8.	<p>कार्यपरिषद् ने प्रो० सुष्मिता भट्टाचार्या, आचार्य, अंग्रेजी विभाग द्वारा 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त दिनांक 04 अगस्त, 2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने प्रो० सुष्मिता भट्टाचार्या, आचार्य, अंग्रेजी विभाग की दिनांक 04 अगस्त, 2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग को स्वीकार करते शासन को संदर्भित करने का निर्णय लिया।</p>
9.	<p>कार्यालय आदेश संख्या 1097/सा०प्र०/2018 दिनांक 16.03.2018 द्वारा मा० कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में प्रो० राजेन्द्र सिंह, प्राणि विज्ञान विभाग के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप प्रो० हरिशरण, रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग को दिनांक 20.03.2018 से तीन वर्ष अथवा सेवानिवृत्ति की तिथि अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए अधिष्ठाता विज्ञान संकाय के लिए नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं अनुमोदन पर विचार।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुये उसका अनुमोदन किया।</p>

10.	<p>कार्य परिषद् ने अध्यक्ष की अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार किया—</p> <p>1. कार्यालय आदेश संख्या 2238 / साप्र०/ 2018 दिनांक 11.04.2018 के द्वारा मा० कुलपति जी के आदेश दिनांक 09.04.2018 के अनुपालन में डॉ० अशोक कुमार श्रीवास्तव, अधिष्ठाता—कला संकाय एवं आचार्य, मध्य० कालीन इतिहास विभाग का दिनांक — 19.04.2018 के अपरान्ह से 62 वर्ष की अधिवर्षिता आयु पूर्ण करने के उपरान्त अधिष्ठाता—कला संकाय के पद पर कला संकाय के वरिष्ठतम् आचार्य डॉ० एस० को० दीक्षित, आचार्य, भूगोल विभाग को दिनांक 20.04. 2018 से तीन वर्ष अथवा सेवानिवृत्ति अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो तक के लिए अधिष्ठाता—कला संकाय पद पर नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं अनुमोदन प्रदान करने पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।</p> <p>2. कार्यालय आदेश संख्या 2239 / सा०प्र०/ 2018 दिनांक 12.04.2018 द्वारा मा० कुलपति जी के आदेश के अनुपालन मे० श्रीमती हर्षिता रघुवंशी, अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली, भारत को सुप्रीम कोर्ट में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर से सम्बन्धित मुकदमों की पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं अनुमोदन पर विचार।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते उसका अनुमोदन किया।</p> <p>3. कार्यालय आदेश संख्या 2251 / सा०प्र०/ 2018 दिनांक 13.04.2018 द्वारा मा० कुलपति जी के आदेश के अनुपालन श्री सचिन मिश्र, कनिष्ठ सहायक, विधि विभाग को दिनांक — 02.04. 2018 से दिनांक 01.04.2020 तक के लिए (असाधारण) अवैतनिक अवकाश स्वीकृति से सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं अनुमोदन पर विचार।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते उसका अनुमोदन किया।</p>
-----	--

पूरक कार्यसूची :


1.	<p>बैठक में प्रस्तुत पूरक कार्यसूची के क्रम संख्या 1 पर विचार करते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 29 अप्रैल, 2018 को अपरान्ह 03.00 बजे कार्यपरिषद् की बैठक आहूत की जाय, जिसमें शिक्षक संवर्ग के रिक्त विभिन्न पदों पर दिनांक 22 मार्च, 2018 से दिनांक : 26 अप्रैल, 2018 तक हुई चयन समितियों की संस्तुतियों के लिफाफे खोले जाय।</p>
2.	<p>कार्य परिषद् ने लेखा विभाग में कार्यरत श्री रामजी सिंह, प्रधान सहायक जो दिनांक 30.04.2018 में सेवा निवृत्त हो रहे हैं। सेवा निवृत्त होने के पश्चात आगामी एक वर्ष के लिए लेखा विभाग में अनुमन्य मानदेय के आधार पर कार्य लिये जाने हेतु वित्त अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने श्री रामजी सिंह, प्रधान सहायक जो दिनांक 30.04. 2018 में सेवा निवृत्त हो रहे हैं, सेवा निवृत्त होने के पश्चात अनुमन्य मानदेय पर आगामी एक वर्ष तक अथवा अन्य आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक कार्य लिये जाने हेतु वित्त अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकार किया।</p>
3.	<p>कार्यपरिषद् ने विश्वविद्यालय में तृतीय श्रेणी में प्रोन्नत कर्मचारियों को ए०सी०पी० की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र नाथ सिंह अध्यक्ष, कर्मचारी संघ के पत्र दिनांक 16.04.2018 पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने विश्वविद्यालय में चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में प्रोन्नति प्राप्त छ: (6) कर्मचारियों को 10 वर्षीय एवं 16 वर्षीय ए०सी०पी० की सुविधा प्राप्त करने हेतु विचार करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया।</p>
4.	<p>कार्यपरिषद् ने विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को 300 दिन अवकाश नगदीकरण का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र नाथ सिंह, अध्यक्ष, कर्मचारी संघ के पत्र दिनांक 16.04.2018 पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को 300 दिन अवकाश नगदीकरण का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में वित्त अधिकारी द्वारा अवगत</p>

	कराया गया कि प्रकरण शासन में अनुमति हेतु कार्यवाही चल रही है। अनुमति प्राप्त होते ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
5.	<p>कार्यपरिषद् ने विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को निःशुल्क मेडिकलेम की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु श्री महेन्द्र नाथ सिंह अध्यक्ष, कर्मचारी संघ के पत्र दिनांक 16.04.2018 पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को निःशुल्क मेडिकलेम की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु वित्त अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।</p>

डॉ० ओंकार नाथ मिश्र, सदस्य – कार्यपरिषद् द्वारा अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।



कुलसंक्रिव



कुलपति



**दीनदयाला संपाद्याच्य गोरखगुरु विश्वविद्यालय, गोरखगुरु
कार्य परिषद् रोटी चिट्ठी बैठक दिनांक : 29.04.2013 का कार्यवृत्त**

उपस्थिति :

1.	प्रो० विजय कृष्ण सिंह	कुलपति / अध्यक्ष
2.	प्रो० एस०के० दीजित	प्रति-कुलपति
3.	प्रो० गोपीनाथ	सदस्य
4.	प्रो० अजेय कुमार गुप्ता	सदस्य
5.	प्रो० लल्लन यादव	सदस्य
6.	प्रो० शोभा गौड़	सदस्य
7.	प्रो० चन्द्रशेखर	सदस्य
8.	प्रो० सी०पी० श्रीवास्तव	सदस्य
9.	डॉ० रजीउर रहमान	सदस्य
10.	डॉ० (श्रीमती) मधु सत्यदेव	सदस्य
11.	श्री धर्मन्द्र नाथ वर्मा	सदस्य
12.	डॉ० आंकार नाथ मिश्र	सदस्य
13.	डॉ० अरविन्द कुमार सिंह	सदस्य
14.	डॉ० वीरेन्द्र मणि त्रिपाठी	सदस्य
15.	श्री वीरेन्द्र चौधे	वित्त अधिकारी
16.	कुलसचिव	सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति जी ने कार्यपरिषद के समस्त सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् कुलसचिव को विभिन्न विषयों में सीधी भर्ती के रिक्त विभिन्न पदों पर चयन एवं कैरियर एडवान्समेंट योजना (CAS) के अन्तर्गत प्रोन्नति हेतु चयन समितियों की संस्तुतियों के लिफाफे खोलने का निर्देश दिया। प्रो० अजेय कुमार गुप्ता बैठक में 3 बजकर 30 मिनट पर (30 मिनट देरी से) उपस्थित हुये। माननीय कुलपति जी के निर्देश पर कुलसचिव ने कार्य परिषद् के सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुए क्रमवार विभिन्न विषयों में सीधी भर्ती के रिक्त विभिन्न पदों पर चयन एवं कैरियर एडवान्समेंट योजना (CAS) के अन्तर्गत प्रोन्नति हेतु चयन समितियों की संस्तुतियों के लिफाफे खोलने की कार्ययाही प्रारम्भ की-

बिन्दु संख्या	कार्यसूची एवं निर्णय
1-क (i)	<p>कार्यपरिषद् ने गणित विषय में अनारक्षित संवर्ग के आचार्य के दो पद पर नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति की बैठक दिनांक 25.03.2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।</p> <p>कार्यपरिषद् ने चयन समिति की बैठक दिनांक 25.03.2018 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत आचार्य के एक पद पर डॉ० विजय शंकर वर्मा को गणित विषय में वेतनमान रु० 37,400-67,000 तथा ए०जी०पी० रु० 10,000/- में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत नियुक्ति प्रदान की।</p> <p>कार्यपरिषद् अवगत हुई कि चयन समिति द्वारा गणित विषय में आचार्य के अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत एक पद पर किसी भी अभ्यर्थी को योग्य नहीं पाया गया। इस कारण कार्यपरिषद् ने निर्णय लिया गया कि इस पद को रिक्त रखा जाय।</p>
(ii)	<p>कार्यपरिषद् ने गणित विषय में सहयुक्त आचार्य के दो पद पर नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति की बैठक दिनांक 25.03.2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।</p> <p>कार्यपरिषद् अवगत हुई कि चयन समिति की बैठक दिनांक 25.03.2018 द्वारा गणित विषय के अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत सहयुक्त आचार्य के दो पद पर किसी भी अभ्यर्थी को योग्य नहीं पाये जाने की संस्तुति की गयी है। कार्यपरिषद् ने निर्णय</p>

लिया कि इस पद को दिया रखा जाय।

(iii)

कार्यपरिषद् ने गणित विषय में सहायक आचार्य के अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत चार पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 25.03.2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की बैठक दिनांक 25.03.2018 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए गणित विषय में अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के चार पद पर वेतनमान ₹ 0 15,600-39,100 तथा ₹ 0 6,000/- में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित को नियुक्ति प्रदान की :—

1. अर्द्धना सिंह भदौरिया
2. जुली श्रीवास्तव
3. ज्ञानवेन्द्र प्रताप सिंह
4. राजेश पाण्डेय

कार्यपरिषद् ने गणित विषय में सहायक आचार्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के दो पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 25.03.2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की बैठक दिनांक 25.03.2018 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए गणित विषय में अन्य पिछड़ा संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के दो पद पर वेतनमान ₹ 0 15,600-39,100 तथा ₹ 0 6,000/- में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित को नियुक्ति प्रदान की :—

1. जितेन्द्र कुमार कुशवाहा
2. विवेक कुमार शर्मा

कार्यपरिषद् ने गणित विषय में सहायक आचार्य के अनुसूचित जाति वर्ग के दो पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 25.03.2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की बैठक दिनांक 25.03.2018 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए गणित विषय में अनुसूचित जाति संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के दो पद पर वेतनमान ₹ 0 15,600-39,100 तथा ₹ 0 6,000/- में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित को नियुक्ति प्रदान की :—

1. राजेश कुमार
2. विकास राना

कार्यपरिषद् ने चयन समिति बैठक दिनांक 25.03.2018 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए गणित विषय में सहायक आचार्य के अनारक्षित संवर्ग के चार पदों, अन्य पिछड़ा संवर्ग के दो एवं अनुसूचित जाति संवर्ग के अन्तर्गत दो पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतीक्षा सूची में निम्नलिखित अभ्यर्थियों को रखा है —

1. अभिषेक कुमार सिंह — अनारक्षित संवर्ग
2. बलिराम गुप्ता — अनारक्षित संवर्ग
3. विनोद कुमार चौधरी — अन्य पिछड़ा संवर्ग
4. सुबेदार राम — अनुसूचित जाति संवर्ग

1— ख
(i)

कार्यपरिषद् ने अर्थशास्त्र विषय में आचार्य के अनारक्षित संवर्ग के दो पद पर नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति की बैठक दिनांक 30.03.2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत आचार्य के दो पद में से एक पद पर ₹ 0 37,400-67,000 तथा ₹ 0 10,000/- में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत नियुक्ति प्रदान की।

कार्यपरिषद् अवगत हुई कि अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत आचार्य के दो पद में से एक पद के लिए कोई अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुआ। इस कारण इस पद को रिक्त रखे जाने का निर्णय लिया गया।

(ii)

कार्यपरिषद् ने अर्थशास्त्र विषय में सहायक आचार्य के अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत दो पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 30.03.2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए अर्थशास्त्र विषय में अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के दो पद पर वेतनमान ₹0 15,600-39,100 तथा ₹0 6,000/- में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित को नियुक्ति प्रदान की।

1. अभित कुमार शर्मा
2. शारद चन्द्र श्रीवास्तव

कार्यपरिषद् ने कि अर्थशास्त्र विषय में सहायक आचार्य के अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत दो पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति बैठक दिनांक 30.03.2018 की संस्तुतियों को स्वीकार एवं अर्थशास्त्र विषय में सहायक आचार्य के दो पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतीक्षा सूची में निम्नलिखित अभ्यर्थियों को रखा है –

1. सिद्धार्थ सिंह (अनारक्षित संवर्ग)
2. रवि शेखर सिंह (अनारक्षित संवर्ग)

कार्यपरिषद् ने अर्थशास्त्र विषय में सहायक आचार्य के अन्य पिछड़ा संवर्ग के अन्तर्गत दो पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 30.03.2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए अर्थशास्त्र विषय में अन्य पिछड़ा संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के दो पद पर वेतनमान ₹0 15,600-39,100 तथा ₹0 6,000/- में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित को नियुक्ति प्रदान की।

1. सुरेन्द्र कुमार गुप्ता
2. राजू कुमार गुप्ता

कार्यपरिषद् ने कि अर्थशास्त्र विभाग में सहायक आचार्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के दो पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति बैठक दिनांक 30.03.2018 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए अर्थशास्त्र विभाग में सहायक आचार्य के अन्तर्गत दो पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतीक्षा सूची में निम्नलिखित अभ्यर्थियों को रखा है –

1. सुनील सिंह यादव (अन्य पिछड़ा संवर्ग)
2. बाल मुकुन्द वर्मा (अन्य पिछड़ा संवर्ग)

1-ग

(i)

कार्यपरिषद् ने मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विषय में आचार्य के दो पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 31.03.2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् अवगत हुई कि चयन समिति द्वारा मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विषय के आचार्य पद के अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत दो पद पर किसी भी अभ्यर्थी को योग्य नहीं पाया गया। इस कारण इस पद को रिक्त रखे जाने का निर्णय लिया गया।

(ii)

कार्यपरिषद् ने मध्यकालीन इतिहास एवं आधुनिक इतिहास विषय में अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत सहयुक्त आचार्य के दो पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 31.03.2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत सहयुक्त आचार्य के दो पद पर 1-डॉ० मनोज कुमार तिवारी 2-डॉ० सुधाकर लाल (नेपाली इतिहास में) को मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विषय में सहयुक्त आचार्य पद पर वेतनमान, ₹0 37,400-67,000 तथा ₹0 6,000/- में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत नियुक्ति प्रदान किया।

(iii)	<p>कार्यपरिषद् ने मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विषय में सहायक आचार्य के अनुसूचित जाति संवर्ग के अन्तर्गत एक पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 31.03.2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।</p>
	<p>कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विषय में अनुसूचित जाति संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के एक पद पर वेतनमान ₹0 15,600-39,100 तथा ₹0 6,000/- में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत :—</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. श्वेता को नियुक्ति प्रदान की।
	<p>कार्यपरिषद् ने चयन समिति बैठक दिनांक 31.03.2018 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए मध्यकालीन इतिहास एवं आधुनिक इतिहास विषय में सहायक आचार्य के अनुसूचित जाति संवर्ग के अन्तर्गत एक पद पर नियुक्ति हेतु प्रतीक्षा सूची में निम्नलिखित अभ्यर्थी को रखा है—</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. मिथिलेश कुमार
1-घ (i)	<p>कार्यपरिषद् ने रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विषय में सहायक आचार्य के अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत एक पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 01.04.2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।</p>
	<p>कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विषय में अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के एक पद पर वेतनमान ₹0 15,600-39,100 तथा ₹0 6,000/- में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत :—</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रवीन कुमार सिंह को नियुक्ति प्रदान की।
	<p>कार्यपरिषद् ने रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग में सहायक आचार्य के अन्य पिछड़ा संवर्ग के अन्तर्गत एक पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 01.04.2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।</p>
	<p>कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए अन्य पिछड़ा संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के एक पद पर वेतनमान ₹0 15,600-39,100 तथा ₹0 6,000/- पर विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत :—</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. डॉ आरती यादव को नियुक्ति प्रदान की।
	<p>कार्यपरिषद् ने रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग में सहायक आचार्य के अनुसूचित जाति संवर्ग के अन्तर्गत दो पद पर नियमित नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति की बैठक दिनांक 01.04.2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।</p>
	<p>कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विषय में अनुसूचित जाति संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के दो पद पर वेतनमान ₹0 15,600-39,100 तथा ₹0 6,000/- में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित को नियुक्ति प्रदान की —</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. विजय कुमार 2. जितेन्द्र कुमार
	<p>कार्यपरिषद् ने चयन समिति बैठक दिनांक 01.04.2018 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग में सहायक आचार्य के अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत एक पद, अन्य पिछड़ा संवर्ग के अन्तर्गत एक पद एवं अनुसूचित जाति संवर्ग के अन्तर्गत दो पद पर नियुक्ति हेतु प्रतीक्षा सूची में निम्नलिखित अभ्यर्थियों को रखा है—</p>

1. उत्कृष्ण कुमार सिंह	(अनारक्षित संवर्ग)
2. वृष्णि कुमार दर्मा	(अन्य पिछड़ा संवर्ग)
3. अन्विका प्रसाद	(अनुसूचित जाति संवर्ग)
4. संजय गौतम	(अनुसूचित जाति संवर्ग)

1-ड
(i)

कार्यपरिषद् ने प्राणि विज्ञान विषय में डॉ परमहंस पाठक को कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत सहायक आचार्य चरण 3, ए0जी0पी रु 8,000/- से से सहयुक्त आचार्य चरण—4 ए0जी0पी रु 9,000/- के पद पर प्रोन्नति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 04.04.2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुये कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत प्राणि विज्ञान विभाग में डॉ० परमहंस पाठक, को उनकी अर्हता तिथि से चरण 3 ए0जी0पी रु 8,000/- से सहयुक्त आचार्य चरण—4 वेतनमान रु0 37,400-67,000 तथा ए0जी0पी रु0 9,000/- के पद पर विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत प्रोन्नति प्रदान की।

(ii)

कार्यपरिषद् ने प्राणि विज्ञान विषय में कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत सहयुक्त आचार्य से आचार्य, चरण 4 से से आचार्य चरण—5 ए0जी0पी0 9,000/- से 10,000/- के पद पर प्रोन्नति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 04.04.2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुये कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत डॉ० परमहंस पाठक, प्राणि विज्ञान विषय को उनकी अर्हता तिथि से सहयुक्त आचार्य चरण 4 से से आचार्य चरण—5 वेतनमान रु0 37,400-67,00 तथा ए0जी0पी रु0 10,000/- के पद पर विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत प्रोन्नति प्रदान की।

कार्यपरिषद् ने प्राणि विज्ञान विषय में अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत आचार्य के दो पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 04.04.2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए अनारक्षित संवर्ग के आचार्य के दो पद पर 1-डॉ० सुनील कुमार श्रीवास्तव 2- डॉ० विनय कुमार सिंह, को प्राणि विज्ञान विषय में आचार्य पद पर वेतनमान रु0 37,400-67,000 तथा ए0जी0पी० रु0 10,000/- में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत नियुक्ति प्रदान की।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत आचार्य के दो पद पर वेतनमान रु0 37,400-67,000 तथा ए0जी0पी० रु0 10,000 में नियुक्ति हेतु प्रतीक्षा सूची में निम्नलिखित अभ्यर्थियों को रखा है—

1. डॉ० कैशव सिंह
2. डॉ० श्री कृष्ण तिवारी

(iii)

कार्यपरिषद् ने प्राणि विज्ञान विषय में अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत एक सहयुक्त आचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति की बैठक दिनांक 04.04.2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत सहयुक्त आचार्य के एक पद पर डॉ० सुनील कुमार श्रीवास्तव को प्राणि विज्ञान विषय में सहयुक्त आचार्य पद पर वेतनमान रु0 37,400-67,000 तथा ए0जी0पी० रु0 9,000/- में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत नियुक्ति प्रदान की।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार किया तथा अनारक्षित वर्ग के सहयुक्त आचार्य के एक पद पर वेतनमान, रु0 37,400-67,000 तथा ए0जी0पी० रु0 9,000/- में नियुक्ति हेतु प्रतीक्षा सूची में निम्नलिखित अभ्यर्थियों को रखा है—

1. डॉ० विनय कुमार सिंह



2. डॉ० कशाय सिंह

(iv)

कार्यपरिषद् ने प्राणि विज्ञान विषय में अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के एक पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 03.04.2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए प्राणि विज्ञान विषय में अन्य पिछड़ा संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के एक पद पर वेतनमान रु० 15,600—39,100 तथा ए०जी०पी० रु० 6,000/- में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत :—

1. डॉ० राम प्रताप यादव
को नियुक्ति प्रदान की।

कार्यपरिषद् ने प्राणि विज्ञान विषय में सहायक आचार्य के अनुसूचित जाति वर्ग के दो पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 03.04.2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए प्राणि विज्ञान विषय में अनुसूचित जाति संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के दो पद पर वेतनमान रु० 15,600—39,100 ए०जी०पी० रु० 6,000/- में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित को नियुक्ति प्रदान की।

1. डॉ० कपिन्द्र
2. डॉ० सुशील कुमार

कार्यपरिषद् ने कि प्राणि विज्ञान विषय में चयन समिति बैठक दिनांक 01.04.2018 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए प्राणि विज्ञान विषय में अन्य पिछड़ा संवर्ग एक पद तथा अनुसूचित जाति संवर्ग के दो सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु प्रतीक्षा सूची में निम्नलिखित के व्यक्तियों को रखा है—

1. डॉ० हरिया हुसैन (अन्य पिछड़ा संवर्ग)
2. डॉ० भूनेश प्रताप (अनुसूचित जाति संवर्ग)
3. सुनैना गौतम (अनुसूचित जाति संवर्ग)

1—च
(i) कार्यपरिषद् ने प्राचीन इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति विषय में आचार्य के अनारक्षित पद के एक पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 08.04.2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुति को स्वीकार करते हुये प्राचीन इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति विषय में अनारक्षित वर्ग आचार्य के एक पद पर साक्षात्कार हेतु उपस्थित एक अध्यर्थी चयन समिति द्वारा योग्य नहीं पाया गया। इस कारण इस पद को रिक्त रखे जाने का निर्णय लिया गया।

कार्यपरिषद् ने प्राचीन इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति विषय में कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत चरण 4 से चरण—5 (ए०जी०पी० रु० 9000/- से रु० 10,000/-) के पद पर प्रोन्नति हेतु गठित चयन समिति की बैठक दिनांक 08.04.2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने प्राचीन इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुये कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत डॉ० कमलेश कुमार गौतम, प्राचीन इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति विषय को उनकी अर्हता तिथि से चरण—5, वेतनमान रु० 37,400—67,000 तथा ए०जी०पी० रु० 10,000/- में आचार्य के पद पर विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत प्रोन्नति प्रदान की।

(ii) कार्यपरिषद् ने प्राचीन इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति विषय में अनारक्षित संवर्ग के सहयुक्त आचार्य के एक पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 04.04.2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए अनारक्षित

४

संवर्ग के सहयुक्त आचार्य के एक पद पर डॉ० ध्यानेन्द्र नारायण दुबे को प्राचीन इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति विषय में वेतनमान, रु० 37,400-67,000 तथा ए०जी०पी रु० 9,000/- में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत नियुक्ति प्रदान की।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए प्राचीन इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति विषय में अनारक्षित संवर्ग के सहयुक्त आचार्य के एक पद पर प्रतीक्षा सूची में डॉ० राम प्यारे सिंह को रखा है—

(iii) कार्यपरिषद् ने प्राचीन इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति विषय में सहायक आचार्य के अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत एक पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 08.04.2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए प्राचीन इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति विषय में अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के एक पद पर वेतनमान रु० 15,600-39,100 ए०जी०पी रु० 6,000/- में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत :—

1. पदसज्जा सिंह
को नियुक्ति प्रदान की।

कार्यपरिषद् ने प्राचीन इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति विषय में सहायक आचार्य के अन्य पिछड़ा संवर्ग के अन्तर्गत एक पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 08.04.2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति बैठक दिनांक 08.04.2018 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए प्राचीन इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति विषय में अन्य पिछड़ा संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के एक पद पर पर वेतनमान रु० 15,600-39,100 तथा ए०जी०पी रु० 6,000 में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत :—

1. मणिन्द्र यादव
को नियुक्ति प्रदान की।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति बैठक दिनांक 08.04.2018 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए प्राचीन इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति विषय में सहायक आचार्य के अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत एक पद तथा अन्य पिछड़ा संवर्ग के एक पद पर नियुक्ति हेतु प्रतीक्षा सूची में निम्नलिखित अध्यर्थियों को रखा है—

1. दानपाल सिंह (अनारक्षित संवर्ग)
2. ऋषि कपूर (अन्य पिछड़ा संवर्ग)
3. अनुभव श्रीवास्तव (अनारक्षित संवर्ग)

1-छ (i) कार्यपरिषद् ने अंग्रेजी विषय में कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत सहयुक्त आचार्य से आचार्य, चरण 4 से चरण-5 वेतनमान रु० 37,400-67,000 तथा ए०जी०पी० रु० 10,000/- के पद पर प्रोन्नति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 11.04.2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुये कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत डॉ० अवनीश राय, अंग्रेजी विषय को सहयुक्त आचार्य चरण 4 से चरण-5 वेतनमान रु० 37,400-67,000 तथा ए०जी०पी० रु० 10,000/- में आचार्य पद पर विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत प्रोन्नति उनकी अर्हता तिथि से प्रदान की।

(ii) कार्यपरिषद् ने अंग्रेजी विषय में सहायक आचार्य के अनारक्षित संवर्ग के एक पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 11.04.2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए अंग्रेजी विषय में अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के एक पद पर वेतनमान रु० 15,600-39,100 तथा ए०जी०पी० रु० 6,000/- पर विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत :—

1. पंकज कुमार सिंह

को नियुक्ति प्रदान की।

कार्यपरिषद् ने अंग्रेजी विषय में सहायक आचार्य के अन्य पिछड़ा संवर्ग के अन्तर्गत तीन पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 11.04.2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए अंग्रेजी विषय में अन्य पिछड़ा संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के तीन पद पर वेतनमान रु 15,600-39,100 तथा ए0जी0पी0 रु 6,000/- पर विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित को नियुक्ति प्रदान की।

1. सुभम सिंह
2. शायका तन्जील
3. संजीव कुमार विश्वकर्मा

कार्यपरिषद् ने अंग्रेजी विषय में सहायक आचार्य के अनुसूचित जाति वर्ग के एक पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 11.04.2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए अंग्रेजी विषय में अनुसूचित जाति संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के एक पद पर वेतनमान रु 15,600-39,100 तथा ए0जी0पी0 रु 6,000/- में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत :-

1. बृजेश कुमार
को नियुक्ति प्रदान की।

कार्यपरिषद् ने कि अंग्रेजी विभाग में सहायक आचार्य के अनारक्षित संवर्ग के एक पद, अन्य पिछड़ा संवर्ग के तीन पद तथा अनुसूचित जाति संवर्ग के एक पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति बैठक दिनांक 11.04.2018 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए प्रतीक्षा सूची में निम्नलिखित अभ्यर्थियों को रखा है।

1. छाया सिंह (अनारक्षित संवर्ग)
2. घन श्याम पाल (अन्य पिछड़ा संवर्ग)
3. आरती विश्वकर्मा (अन्य पिछड़ा संवर्ग)
4. वीरेन्द्र कुमार यादव (अन्य पिछड़ा संवर्ग)
5. मिलिन्द राज आनन्द (अनुसूचित जाति वर्ग)
6. अपर्णा सिंह (अनारक्षित संवर्ग)
7. सुनीता राय (अनारक्षित संवर्ग)

1-ज
(i) कार्यपरिषद् ने विधि विषय में आचार्य के अनारक्षित संवर्ग के एक पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 18.04. 2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् अवगत हुई कि चयन समिति द्वारा विधि विषय के अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत एक पद पर साक्षात्कार के लिए उपस्थित एक अभ्यर्थी डॉ० जे०ए०स० सिंह को योग्य नहीं पाया गया। इस कारण इस पद को रिक्त रखे जाने का निर्णय लिया गया।

(ii) कार्यपरिषद् ने विधि विषय में सहायक आचार्य के अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत आठ पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 18.04.2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए विधि विषय के अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के आठ पद पर वेतनमान रु 15,600-39,100 तथा ए0जी0पी0 रु 6,000/- में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित को नियुक्ति प्रदान की।

1. डॉ० वेद प्रकाश राय
2. त्रियुगी नारायण मिश्र
3. मनीष कुमार राय
4. शैलेष कुमार राय
5. हरिश चन्द्र पाण्डेय

6. राजनीति कुमार श्रीवास्तव
7. शिव पूजा सिंह
8. आशीष कुमार शुक्ला

कार्यपरिषद् ने विधि विषय में सहायक आचार्य के अन्य पिछड़ा संवर्ग के अन्तर्गत तीन पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 18.04.2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए विधि विषय में अन्य पिछड़ा संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के तीन पद पर वेतनमान ₹0 15,600-39,100 तथा ₹0 6,000/- पर विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित को नियुक्ति प्रदान की।

1. ओम प्रकाश सिंह
2. वन्दना सिंह
3. अभय चन्द मल्ल विस्तेन

कार्यपरिषद् ने विधि विभाग में सहायक आचार्य के अनुसूचित जाति संवर्ग के अन्तर्गत दो पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 18.04.2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए विधि विषय में अनुसूचित जाति संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के दो पद पर वेतनमान ₹0 15,600-39,100 तथा ₹0 6,000/- पर विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित को नियुक्ति प्रदान की।

1. सुमन लता चौधरी
2. आलोक कुमार

कार्यपरिषद् ने विधि विभाग में सहायक आचार्य के अनारक्षित वर्ग, के आठ पद, अन्य पिछड़ा संवर्ग के तीन पद तथा अनुसूचित जाति वर्ग के दो पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति बैठक दिनांक 11.04.2018 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए विधि विभाग में सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु प्रतीक्षा सूची में निम्नलिखित व्यक्तियों को रखा है—

1. रुचिर सिंह (अनारक्षित संवर्ग)
2. गीता सिंह (अनारक्षित संवर्ग)
3. अविन तिवारी (अनारक्षित संवर्ग)
4. पंकज द्विवेदी (अनारक्षित संवर्ग)
5. धीरेन्द्र विक्रम सिंह (अनारक्षित संवर्ग)
6. अमित कुमार मौर्य (अन्य पिछड़ा संवर्ग)
7. अंजलिका (अन्य पिछड़ा संवर्ग)
8. विक्रम कुमार (अनुसूचित जाति संवर्ग)
9. विवेक कुमार (अनुसूचित जाति संवर्ग)

1-इ
(i) कार्यपरिषद् ने दर्शनशास्त्र विषय में सहायक आचार्य के अन्य पिछड़ा संवर्ग के अन्तर्गत एक पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 21.04.2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए दर्शनशास्त्र विषय में अन्य पिछड़ा संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के एक पद पर वेतनमान ₹0 15,600-39,100 तथा ₹0 6,000/- पर विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत :—

1. रमेश चन्द्र
को नियुक्ति प्रदान की।

कार्यपरिषद् ने दर्शनशास्त्र विषय में सहायक आचार्य के अनुसूचित जाति/जनजाति संवर्ग के अन्तर्गत एक पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 21.04.2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए दर्शनशास्त्र विषय में सहायक आचार्य के अनुसूचित जाति/जनजाति संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के एक पद पर वेतनमान ₹0 15,600-39,100 तथा ₹0 6,000/- पर

विश्वविद्यालय परिचयसामग्री के अनुरूप :-

१. अंजाय कुमार राम
को नियुक्ति प्रदान की।

कार्यपरिषद् ने दर्शनशास्त्र विषय में सहायक आचार्य के अन्य पिछळा संवर्ग के अन्तर्गत एक पद, अनुसूचित जाति/जनजाति संवर्ग के एक पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति वैठक दिनांक 21.04.2016 की संस्कृतियों को स्वीकार करते हुए दर्शनशास्त्र विषय में सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु प्रतीक्षा सूची में निम्नलिखित अध्यर्थियों को रखा है-

- जितेन्द्र यादव— अन्य पिछड़ा संवर्ग
 - राजीव रंजन — अनुसाधित जाति संवर्ग

1-अ
(i) कार्यपरिषद् ने वनस्पति विज्ञान विषय में अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत आचार्य के एक पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 26.04.2018 की संस्तुतियों पर विचार किया। कार्यपरिषद् अवगत हुई कि चयन समिति द्वारा वनस्पति विज्ञान विषय के अनारक्षित वर्ग के अन्तर्गत आचार्य के एक पद के लिए कोई योग्य अभ्यर्थी नहीं पाया गया। इस कारण इस पद को रिक्त रखे जाने का निर्णय लिया गया।

कार्यपरिषद् ने वनस्पति विज्ञान विषय में कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत सहयुक्त आचार्य चरण 4 से आचार्य चरण-5 वेतनमान रु0 37400-67000 ए0जी0पी0 रु0 10,000/- के पद पर प्रोन्नति हेतु गठित चयन समिति की बैठक दिनांक 25.04.2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुये कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत डॉ0 अनिल कुमार द्विवेदी, वनस्पति विज्ञान विषय को सहयुक्त आचार्य चरण 4 से आचार्य चरण-5 वेतनमान रु0 37,400-67,000 तथा ए0जी0पी0 रु0 10,000/- में आचार्य पद पर विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत उनकी अर्हता तिथि से प्रोन्नति प्रदान की।

कार्यपरिषद् ने वनस्पति विज्ञान विषय में सहयुक्त आचार्य के अनारक्षित संवर्ग के दो पद एवं अनुसूचित जाति संवर्ग के अन्तर्गत एक पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 26.04.2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् अवगत हुई कि चयन समिति द्वारा वनस्पति विज्ञान विषय के सहयुक्त आचार्य के अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत दो पद एवं अनुसूचित जाति संवर्ग के एक पर के लिए कोई योग्य अभ्यर्थी नहीं पाया गया। इस कारण इस पद को रिक्त रखे जाने का निर्णय लिया गया।

(ii) कार्यपरिषद् ने वनस्पति विज्ञान विषय में सहायक आचार्य के अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत चार पद पर नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति की बैठक दिनांक 23 से 25 अप्रैल, 2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए वनस्पति विज्ञान विषय में अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के चार पद पर वेतनमान रु0 15,600-39,100 तथा ए0जी0पी0 रु0 6,000/- पर विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित कि नियुक्ति प्रदान किया।

1. दीपा श्रीवास्तव
2. तूलिका मिश्रा
3. राकेश पाण्डेय
4. राजवीर सिंह चौहान

कार्यपरिषद् ने वनस्पति विज्ञान विषय में सहायक आचार्य के अन्य पिछळा वर्ग के अन्तर्गत दो पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 23 से 25 अप्रैल, 2018 की संस्तुतियों पर

विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए अन्य पिछड़ा संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के दो पद पर वेतनमान ₹0 15,600-39,100 तथा ₹0 6,000/- पर विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित को नियुक्ति प्रदान की।

1. वीरेन्द्र कुमार नधुकर
2. सूति मल्ल

कार्यपरिषद् ने वनस्पति विज्ञान विषय में सहायक आचार्य के अनुसूचित जाति संवर्ग के अन्तर्गत दो पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 23 से 25 अप्रैल, 2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए वनस्पति विज्ञान विषय अनुसूचित जाति संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के दो पद पर वेतनमान ₹0 15,600-39,100 तथा ₹0 6,000/- पर विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित को नियुक्ति प्रदान की।

1. कुमारी सुनीता
2. श्वेता शेखर

कार्यपरिषद् ने वनस्पति विज्ञान विषय में सहायक आचार्य के अनारक्षित वर्ग, के चार पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के दो पद तथा अनुसूचित जाति वर्ग के दो पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 23 से 25 अप्रैल, 2018 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए वनस्पति विज्ञान विषय में सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु प्रतीक्षा सूची में निम्नलिखित अन्यर्थियों रखा है—


1. संजय कुमार पाण्डेय (अनारक्षित संवर्ग)
2. आनन्द कुमार मिश्रा (अनारक्षित संवर्ग)
3. मनीष सेंगर (अनारक्षित संवर्ग)
4. पल्लवी उपाध्याय (अनारक्षित संवर्ग)
5. निधि गुप्ता (अन्य पिछड़ा संवर्ग)
6. ज्ञान प्रकाश गुप्ता (अन्य पिछड़ा संवर्ग)
7. विकास कुमार (अनुसूचित जाति संवर्ग)
8. भावना (अनुसूचित जाति संवर्ग)

ट	कार्यपरिषद् ने डॉ० अजय सिंह एवं डॉ० बद्रे आलम अंसारी, प्राणि विज्ञान विषय के प्रोन्नति प्रकरण पर माननीय कुलाधिपति महोदय के आदेश संख्या E-2160/G.S. दिनांक 20.03.2018 एवं उस पर प्राप्त विधिक राय पर विचार किया। सम्यक विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने डॉ० अजय सिंह एवं डॉ० बद्रे आलम अंसारी, प्राणि विज्ञान विषय के प्रोन्नति प्रकरण पर माननीय कुलाधिपति महोदय के आदेश संख्या E-2160/G.S. दिनांक 20.03.2018 के आदेश पर लिफाफा खोलने का निर्णय लिया एवं चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार किया।
---	---

प्र०० अजेय कुमार गुप्ता, सदस्य कार्यपरिषद् ने बैठक के एकमात्र बिन्दु "शिक्षक संवर्ग के दस विषयों में रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के सीलबंद लिफाफे को खोले जाने की कार्यवाही" पर अपनी असहमति (Dissent) दर्ज करायी। (प्रतिलिपि संलग्न)

डॉ० ओंकार नाथ मिश्र, सदस्य – कार्यपरिषद् द्वारा अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।


कुलपति


कुलपति





दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
कार्य परिषद् की बैठक दिनांक : 02.07.2018 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	प्रो० विजय कृष्ण सिंह	कुलपति / अध्यक्ष
2.	प्रो० एस०के० दीक्षित	प्रति—कुलपति
3.	प्रो० गोपीनाथ	सदस्य
4.	प्रो० अजेय कुमार गुप्ता	सदस्य
5.	प्रो० लल्लन यादव	सदस्य
6.	प्रो० शोभा गौड़	सदस्य
7.	प्रो० चन्द्रशेखर	सदस्य
8.	प्रो० सी०पी० श्रीवास्तव	सदस्य
9.	डॉ० रजीउर रहमान	सदस्य
10.	डॉ० (श्रीमती) मधु सत्यदेव	सदस्य
11.	श्री धर्मन्द्र नाथ वर्मा	सदस्य
12.	डॉ० ओंकार नाथ मिश्रा	सदस्य
13.	डॉ० जे०के० लाल	सदस्य
14.	डॉ० अरविन्द कुमार सिंह	सदस्य
15.	डॉ० वीरेन्द्र मणि त्रिपाठी	सदस्य
16.	डॉ० महेन्द्र कुमार अग्रवाल	सदस्य
17.	श्री प्रनथ नाथ मिश्र	सदस्य
18.	प्रो० राम अचल सिंह	सदस्य
19.	श्री प्रमोद मातनहेलिया	सदस्य
20.	श्री वीरेन्द्र चौबे	वित्त अधिकारी
21.	कुलसचिव	सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव ने कार्यपरिषद के समस्त सम्मानित सदस्यों के साथ—साथ मा० कुलपति जी का स्वागत किया। तत्पश्चात् निवर्तमान सदस्य डॉ० मानेन्द्र प्रताप सिंह, प्राचार्य, श्यामेश्वर महाविद्यालय, सिकरीगंज, गोरखपुर, श्री धर्मन्द्र नाथ वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता, गोरखपुर को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया एवं नवनामित सदस्य डॉ० मानेन्द्र प्रताप सिंह, प्राचार्य, श्यामेश्वर महाविद्यालय, सिकरीगंज, गोरखपुर, श्री धर्मन्द्र नाथ वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता, गोरखपुर, डॉ० जे०के० लाल, प्राचार्य, सेण्ट एण्ड्रयूज कालेज, गोरखपुर, माननीय न्यायमूर्ति श्री राम सूरत राम (मौर्या), इलाहाबाद, डॉ० महेन्द्र कुमार अग्रवाल, गोरखपुर, श्री प्रमथ नाथ मिश्रा, गोरखपुर, प्रो० राम अचल सिंह, गोरखपुर एवं श्री प्रमोद मातनहेलिया, गोरखपुर का स्वागत करते हुए उनसे सहयोग की अपेक्षा की। तत्पश्चात् कुलपति ने कुलसचिव को विभिन्न विषयों में सीधी भर्ती के रिक्त विभिन्न पदों पर चयन एवं कैरियर एडवान्समेंट योजना (CAS) के अन्तर्गत प्रोन्नति हेतु चयन समितियों की संस्तुतियों के लिफाफे खोलने का निर्देश दिया। माननीय कुलपति जी के निर्देश पर कुलसचिव ने क्रमावार विभिन्न विषयों में सीधी भर्ती के रिक्त विभिन्न पदों पर चयन एवं कैरियर एडवान्समेंट योजना (CAS) के अन्तर्गत प्रोन्नति हेतु चयन समितियों की संस्तुतियों के लिफाफे खोलने की कार्यवाही प्रारम्भ की।

विन्दु संख्या	कार्यसूची एवं निर्णय
1—क (i)	<p>कार्यपरिषद् ने ललित कला विषय में अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के तीन पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 15—16 जून, 2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।</p> <p>कार्यपरिषद् ने चयन समिति की बैठक दिनांक 15—16 जून, 2018 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए ललित कला विषय में अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के तीन पद पर वेतनमान ₹ 15,600-39,100 तथा ₹ 0जी०पी० ₹ 6,000/- में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित को नियुक्ति प्रदान की—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रदीप कुमार साहनी

2. प्रदीप राजोरिया

3. श्रद्धा शुक्ला

कार्यपरिषद् ने ललित कला विषय में अन्य पिछड़ा संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के एक पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 15-16 जून, 2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की बैठक दिनांक 15-16 जून, 2018 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए ललित कला विषय में अन्य पिछड़ा संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के एक पद पर वेतनमान ₹0 15,600-39,100 तथा ₹0 6,000/- में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित को नियुक्ति प्रदान की—

1. गौरी शंकर चौहान

कार्यपरिषद् ने चयन समिति बैठक दिनांक 15-16 जून, 2018 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए ललित कला विषय में सहायक आचार्य के अनारक्षित संवर्ग के तीन पदों, अन्य पिछड़ा संवर्ग के एक पद पर नियुक्ति हेतु प्रतीक्षा सूची में निम्नलिखित अभ्यर्थियों को रखा है—

1. शार्दूल मिश्रा (अनारक्षित संवर्ग)
2. वेद प्रकाश पालीवाल (अनारक्षित संवर्ग)
3. विकास गुप्ता (अनारक्षित संवर्ग)
4. संदीप कुमार गिरि (अन्य पिछड़ा वर्ग)

1(ख)

(i)

कार्यपरिषद् ने भूगोल विषय में डॉ० नरेन्द्र कुमार राना को कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत सहयुक्त आचार्य चरण 4, ₹0 9,000/- से आचार्य चरण-5 ₹0 10,000/- के पद पर प्रोन्नति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 5 जून, 2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् अवगत हुई कि चयन समिति द्वारा भूगोल विषय में डॉ० नरेन्द्र कुमार राना को सहयुक्त आचार्य से आचार्य के पद पर प्रोन्नति पर विचार न करके आचार्य पद पर सीधी भर्ती पर चयन के लिए संस्तुति प्रदान की गयी।

(ii)

कार्यपरिषद् ने भूगोल विषय में अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत आचार्य के एक पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 5 जून, 2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत आचार्य के एक पद पर डॉ० नरेन्द्र कुमार राना को भूगोल विषय में आचार्य पद पर वेतनमान, ₹0 37,400-67,000 तथा ₹0 10,000/- में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत नियुक्ति प्रदान की।

(iii)

कार्यपरिषद् ने भूगोल विषय में अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत सहयुक्त आचार्य के दो पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 5 जून, 2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् अवगत हुई कि चयन समिति द्वारा भूगोल विषय में अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत सहयुक्त आचार्य के पद पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार हेतु उपस्थित अभ्यर्थी को योग्य नहीं पाया गया। इस कारण इस पद को रिक्त रखे जाने का निर्णय लिया गया।

(iv)

कार्यपरिषद् ने भूगोल विषय में अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के दो पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 5-8 जून, 2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की बैठक दिनांक 5-8 जून, 2018 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए भूगोल विषय में अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के दो पदों पर वेतनमान ₹0 15,600-39,100 तथा ₹0 6,000/- में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित को नियुक्ति प्रदान की :—

1. अंकित सिंह
2. स्वर्णिमा सिंह

कार्यपरिषद् ने भूगोल विषय में अन्य पिछड़ा संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के एक पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 5-8 जून, 2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की बैठक दिनांक 5-8 जून, 2018 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए भूगोल विषय में अन्य पिछड़ा संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के एक पद पर वेतनमान ₹0 15,600-39,100 तथा ₹0 6,000/- में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित को नियुक्ति प्रदान की :—

1. रुचिका सिंह

कार्यपरिषद् ने भूगोल विषय में अनुसूचित जाति संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के दो पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 5-8 जून, 2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की बैठक दिनांक 5-8 जून, 2018 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए भूगोल विषय में अनुसूचित जाति संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के दो पद पर वेतनमान ₹0 15,600-39,100 तथा ₹0 6,000/- में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित को नियुक्ति प्रदान की :—

1. सर्वेश कुमार
2. दीपक प्रसाद

कार्यपरिषद् ने चयन समिति बैठक दिनांक 5-8 जून, 2018 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए भूगोल विषय में अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के दो पदों, अन्य पिछड़ा संवर्ग के अन्तर्गत एवं अनुसूचित जाति संवर्ग के अन्तर्गत दो पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतीक्षा सूची में निम्नलिखित अभ्यर्थियों को रखा है —

1. अरुण कुमार दीक्षित (अनारक्षित संवर्ग)
2. मनीष कुमार (अनारक्षित संवर्ग)
3. विजय कुमार चौधरी (अन्य पिछड़ा संवर्ग)
4. प्रभोद कुमार (अनुसूचित जाति संवर्ग)
5. चन्द्रजीत (अनुसूचित जाति संवर्ग)

1—ग
(i) कार्यपरिषद् ने राजनीति विज्ञान विषय में ₹0 10,000/- से सहयुक्त आचार्य चरण-3, ₹0 9,000/- के पद पर प्रोन्नति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 04.05.2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुये कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत सहायक आचार्य चरण 3, ₹0 9,000/- से सहयुक्त आचार्य चरण-4 ₹0 9,000/- के पद पर प्रोन्नति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 04.05.2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

(ii) कार्यपरिषद् ने राजनीति विज्ञान विषय में अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत आचार्य के दो पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 03 मई, 2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् अवगत हुई कि चयन समिति द्वारा राजनीति विज्ञान विषय में अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत आचार्य के दो पद के सापेक्ष साक्षात्कार के लिए उपस्थित अभ्यर्थी बीना राय को योग्य नहीं पाया गया। इस कारण इस पद को रिक्त रखे जाने का निर्णय लिया गया।

(iii) कार्यपरिषद् ने राजनीति विज्ञान विषय में ₹0 10,000/- से आचार्य चरण-5 ₹0 10,000/- के पद पर प्रोन्नति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 04.05.2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुये कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत राजनीति विज्ञान विषय में ₹0 10,000/- को आचार्य चरण-4 ₹0 9,000/- के पद पर प्रोन्नति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 04.05.2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

	<p>चरण 4 ए0जी0पी रु0 9,000/- से आचार्य चरण—5 वेतनमान रु0 37,400—67,000 तथा ए0जी0पी रु0 10,000/- में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत प्रोन्नति इस शर्त के साथ उस तिथि से प्रदान की जिस तिथि को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित जर्नल्स में पॉच शोध पत्र प्रकाशित हो जायेगे।</p>
(iv)	<p>कार्यपरिषद् ने राजनीति विज्ञान विषय में सहायक आचार्य के अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत दो पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 3—4 मई, 2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।</p> <p>कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए राजनीति विज्ञान विषय में अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के दो पदों पर वेतनमान रु0 15,600-39,100 तथा ए0जी0पी0 रु0 6,000/- में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित को नियुक्ति प्रदान की—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अमित कुमार उपाध्याय 2. महेन्द्र कुमार सिंह <p>कार्यपरिषद् ने चयन समिति की बैठक दिनांक 3—4 मई, 2018 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए राजनीति विज्ञान विषय में सहायक आचार्य के दो पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतीक्षा सूची में निम्नलिखित अभ्यर्थियों को रखा है—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ममता मणि त्रिपाठी (अनारक्षित संवर्ग) 2. अविनाश प्रताप सिंह (अनारक्षित संवर्ग) 3. सुधांशु कुमार (अनारक्षित संवर्ग) 4. सुमन सिंह (अनारक्षित संवर्ग)
1-(घ)	<p>कार्यपरिषद् ने ललित कला एवं संगीत विषय में डॉ० उषा सिंह को कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत सहयुक्त आचार्य चरण 4, ए0जी0पी रु0 9,000/- से आचार्य चरण—5 ए0जी0पी0 रु0 10,000/- के पद पर प्रोन्नति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 18.06.2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।</p>
(i)	<p>कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुये कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत डॉ० उषा सिंह, ललित कला एवं संगीत विषय को सहयुक्त आचार्य चरण 4 से आचार्य चरण—5 वेतनमान रु0 37,400—67,000 तथा ए0जी0पी रु0 10,000/- में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत प्रोन्नति प्रदान की।</p>
(ii)	<p>कार्यपरिषद् ने संगीत विषय में अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के एक पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 18 जून, 2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।</p> <p>कार्यपरिषद् ने चयन समिति की बैठक दिनांक 18, जून, 2018 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए संगीत विषय में अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के एक पद पर वेतनमान रु0 15,600-39,100 तथा ए0जी0पी0 रु0 6,000/- में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित को नियुक्ति प्रदान की—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. शुभंकर डे <p>कार्यपरिषद् ने चयन समिति बैठक दिनांक 18 जून, 2018 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए संगीत विषय में अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के एक पद पर नियुक्ति हेतु प्रतीक्षा सूची में निम्नलिखित अभ्यर्थियों को रखा है—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. पूनम वर्मा (अनारक्षित संवर्ग) 2. सृष्टि शुक्ला (अनारक्षित संवर्ग)
1(ङ)	<p>कार्यपरिषद् ने संस्कृत विषय में अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत सहयुक्त आचार्य के दो पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 20 जून, 2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।</p> <p>कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत डॉ० मधु सत्यदेव को संस्कृत विषय में सहयुक्त आचार्य के पद पर</p>
(i)	<p>FEx_Cu_09 03.18 20-04Ex Cu 02-07-18-18</p>

वेतनमान, रु0 37,400-67,000 तथा ए0जी0पी0 रु0 9,000/- में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत नियुक्ति प्रदान की। एक पद रिक्त रखे जाने का निर्णय लिया गया।

(ii) कार्यपरिषद् ने संस्कृत विषय में कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत सहयुक्त आचार्य चरण—4 ए0जी0पी0 रु0 9,000/- से आचार्य चरण—5 ए0जी0पी0 रु0 10,000/- के पद पर प्रोन्नति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 20 जून, 2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुये कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत डॉ० (श्रीमती) छाया रानी, संस्कृत विषय को उनकी अर्हता तिथि से सहयुक्त आचार्य चरण 4 से आचार्य चरण—5 वेतनमान रु0 37,400—67,000 तथा ए0जी0पी रु0 10,000/- में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत प्रोन्नति प्रदान की।

(iii) कार्यपरिषद् ने संस्कृत विषय में अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के पॉच पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 20—24 जून, 2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए संस्कृत विषय में अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के पॉच पदों पर वेतनमान रु0 15,600-39,100 तथा ए0जी0पी0 रु0 6,000/- में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित को नियुक्ति प्रदान की—

1. लक्ष्मी मिश्रा
2. देवेन्द्र पाल
3. स्मिता द्विवेदी
4. सूर्यकान्त त्रिपाठी
5. कुलदीपक शुक्ल

कार्यपरिषद् ने संस्कृत विषय में अन्य पिछङ्गा संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के दो पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 20—24 जून, 2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए संस्कृत विषय में अन्य पिछङ्गा संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के दो पदों पर वेतनमान रु0 15,600-39,100 तथा ए0जी0पी0 रु0 6,000/- में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित को नियुक्ति प्रदान की।

1. रंजन लता
2. धर्मेन्द्र कुमार सिंह

कार्यपरिषद् ने संस्कृत विषय में अनुसूचित जाति संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के एक पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 20—24 जून, 2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए संस्कृत विषय में अनुसूचित जाति संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के एक पद पर वेतनमान रु0 15,600-39,100 तथा ए0जी0पी0 रु0 6,000/- में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित को नियुक्ति प्रदान की—

1. कु0 मृणालिनी

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की बैठक दिनांक 20—24 जून, 2018 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए संस्कृत विषय में अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत पॉच पदों, अन्य पिछङ्गा संवर्ग के अन्तर्गत दो पदों एवं अनुसूचित जाति संवर्ग के अन्तर्गत एक पद पर नियुक्ति हेतु प्रतीक्षा सूची में निम्नलिखित अभ्यर्थियों को रखा है—

1. उपेन्द्र देव पाण्डेय (अनारक्षित संवर्ग)
2. आभा द्विवेदी (अनारक्षित संवर्ग)
3. प्रतिभा आर्य (अनारक्षित संवर्ग)

	<p>4. अनुराग दूबे (अनारक्षित संवर्ग)</p> <p>5. शिशिर कुमार मिश्रा (अनारक्षित संवर्ग)</p> <p>6. प्रियंवदा गिरि (अन्य पिछड़ा संवर्ग)</p> <p>7. श्रद्धा यादव (अन्य पिछड़ा संवर्ग)</p> <p>8. ज्ञानधर भारती (अनुसूचित जाति संवर्ग)</p>
1(च) (i)	<p>कार्यपरिषद् ने समाजशास्त्र विषय में डॉ० अन्जु एवं डॉ० सुभी धुसिया को कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत सहयुक्त आचार्य चरण 4, ए०जी०पी रु० 9,000/- से आचार्य चरण-5 ए०जी०पी रु० 10,000/- में प्रोन्नति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 10 जून, 2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।</p> <p>कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुये कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत समाजशास्त्र विषय में 1—डॉ० अन्जु 2—डॉ० सुभी धुसिया को चरण 4 ए०जी०पी रु० 9000/- से आचार्य चरण-5 वेतनमान रु० 37,400—67,000 तथा ए०जी०पी रु० 10,000/- में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत प्रोन्नति अर्हता तिथि से प्रदान की।</p>
(ii)	<p>कार्यपरिषद् ने समाजशास्त्र विषय में डॉ० अनुराग द्विवेदी को कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत सहायक आचार्य चरण 2, ए०जी०पी रु० 7,000/- से सहायक आचार्य चरण-3 ए०जी०पी रु० 8,000/- में प्रोन्नति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 10 जून, 2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।</p> <p>कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुये कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत समाजशास्त्र विषय में डॉ० अनुराग द्विवेदी को चरण 2 ए०जी०पी रु० 7,000/- से सहायक आचार्य चरण-3 वेतनमान रु० 15,600—39,100 तथा ए०जी०पी रु० 8,000/- में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत प्रोन्नति प्रदान की।</p>
(iii)	<p>कार्यपरिषद् ने समाजशास्त्र विषय में डॉ० अनुराग द्विवेदी को कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत सहायक आचार्य चरण 3, ए०जी०पी रु० 8,000/- से सहयुक्त आचार्य चरण-4 ए०जी०पी रु० 9,000/- के पद पर प्रोन्नति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 10 जून, 2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।</p> <p>कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुये कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत समाजशास्त्र विषय में डॉ० अनुराग द्विवेदी, को चरण 3 ए०जी०पी रु० 8,000/- से सहयुक्त आचार्य चरण-4 वेतनमान रु० 37,400—67,000 तथा ए०जी०पी रु० 9,000/- में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत प्रोन्नति उनकी अर्हता तिथि से प्रदान की।</p> <p>कार्यपरिषद् ने समाजशास्त्र विषय में अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के तीन पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 10—12 जून, 2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।</p> <p>कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए समाजशास्त्र विषय में अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के तीन पदों पर वेतनमान रु० 15,600-39,100 तथा ए०जी०पी० रु० 6,000/- में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित को नियुक्ति प्रदान की।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. पवन कुमार 2. दीपेन्द्र मोहन सिंह 3. मनीष कुमार पांडेय <p>कार्यपरिषद् ने समाजशास्त्र विषय में अन्य पिछड़ा संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के एक पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 10—12 जून, 2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।</p> <p>कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए समाजशास्त्र विषय में अन्य पिछड़ा संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के एक पद पर वेतनमान रु० 15,600-39,100 तथा ए०जी०पी० रु० 6,000/- में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित को नियुक्ति प्रदान की।</p>

1. प्रकाश प्रियदर्शी

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की बैठक दिनांक 10–12 जून, 2018 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए समाजशास्त्र विषय में अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत तीन पदों, अन्य पिछड़ा संवर्ग के अन्तर्गत एक पद पर नियुक्ति हेतु प्रतीक्षा सूची में निम्नलिखित अभ्यर्थियों को रखा है –

1. मृणाल मंजरी (अनारक्षित संवर्ग)
2. पल्लवी अग्रवाल (अनारक्षित संवर्ग)
3. प्राणवीर सिंह (अनारक्षित संवर्ग)
4. मो० तनवीर (अन्य पिछड़ा संवर्ग)

1(छ)

कार्यपरिषद् ने उर्दू विषय में अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत आचार्य के एक पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 01 मई, 2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् अवगत हुई कि चयन समिति द्वारा उर्दू विषय में अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत आचार्य के एक पद के लिए उपस्थित अभ्यर्थी को योग्य नहीं पाया गया। इस कारण इस पद को रिक्त रखे जाने का निर्णय लिया गया।

कार्यपरिषद् ने उर्दू विषय में डॉ० मो० रजीउर रहमान को कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत सहयुक्त आचार्य चरण 4, ए०जी०पी० रु० 9,000/- से आचार्य चरण-5 ए०जी०पी० रु० 10,000/- के पद पर प्रोन्नति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 01.05.2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुये कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत उर्दू विषय में डॉ० मो० रजीउर रहमान को उनकी अर्हता की तिथि से चरण 4 ए०जी०पी० रु० 9,000/- से आचार्य चरण-5 वेतनमान रु० 37,400—67,000 तथा ए०जी०पी० रु० 10,000/- में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत प्रोन्नति प्रदान की।

कार्यपरिषद् ने उर्दू विषय में अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के दो पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 01 मई, 2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए उर्दू विषय में अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के दो पदों पर वेतनमान रु० 15,600-39,100 तथा ए०जी०पी० रु० 6,000/- में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित को नियुक्ति प्रदान की—

1. महबूब हसन
2. साजिद हुसैन अंसारी

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की बैठक दिनांक 01 मई, 2018 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए उर्दू विषय में अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत दो पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतीक्षा सूची में निम्नलिखित अभ्यर्थियों को रखा है –

1. एस०एस० अबू बकर (अनारक्षित संवर्ग)
2. अब्दुर्रहमान (अनारक्षित संवर्ग)

1(ज)
(i)

कार्यपरिषद् ने वाणिज्य विषय में अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत आचार्य के एक पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 02 जून, 2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् अवगत हुई कि चयन समिति द्वारा वाणिज्य विषय में अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत आचार्य के एक पद के सापेक्ष साक्षात्कार के लिए उपस्थित अभ्यर्थी को योग्य नहीं पाया गया। इस कारण इस पद को रिक्त रखे जाने का निर्णय लिया गया।

(ii)

कार्यपरिषद् ने वाणिज्य विषय में अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत सहयुक्त आचार्य के दो पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 02.जून, 2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को रखीकार करते हुए अनारक्षित

संवर्ग के अन्तर्गत सहयुक्त आचार्य के दो पद पर 1-डॉ० मनीष कुमार श्रीवास्तव 2-डॉ० अशोक कुमार सिंह को वाणिज्य विषय में सहयुक्त आचार्य पद पर वेतनमान, रु० 37,400-67,000 तथा ए०जी०पी० रु० 9,000/- में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत नियुक्ति प्रदान की।

(iii) कार्यपरिषद् ने वाणिज्य विषय में अन्य पिछड़ा संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के तीन पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 2-3 जून, 2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए वाणिज्य विषय में अन्य पिछड़ा संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के तीन पद पर वेतनमान रु० 15,600-39,100 तथा ए०जी०पी० रु० 6,000/- में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित को नियुक्ति प्रदान की—

1. हर्षदेव वर्मा
2. प्रतिमा जायसवाल
3. अंशु गुप्ता

कार्यपरिषद् ने वाणिज्य विषय में अनुसूचित जाति संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के तीन पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 2-3 जून, 2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए वाणिज्य विषय में अनुसूचित जाति संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के तीन पद पर वेतनमान रु० 15,600-39,100 तथा ए०जी०पी० रु० 6,000/- में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित को नियुक्ति प्रदान की—

1. मनीष कुमार
2. प्रदीप कुमार
3. सुमन कन्नौजिया

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की बैठक दिनांक 03 जून, 2018 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए वाणिज्य विषय में अन्य पिछड़ा संवर्ग के अन्तर्गत तीन पदों, अनुसूचित जाति संवर्ग के अन्तर्गत तीन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतीक्षा सूची में निम्नलिखित अभ्यर्थियों को रखा गया है—

1. प्रवीन सिंह चौहान (अन्य पिछड़ा संवर्ग)
2. अंजनी कुमार (अन्य पिछड़ा संवर्ग)
3. रवीश चन्द्र वर्मा (अन्य पिछड़ा संवर्ग)
4. श्रेया शील (अनुसूचित जाति संवर्ग)
5. ददन कुमार (अनुसूचित जाति संवर्ग)
6. अरुण कुमार (अनुसूचित जाति संवर्ग)

1(ज) (i) कार्यपरिषद् ने शिक्षाशास्त्र विषय में अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत सहयुक्त आचार्य के दो पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 06.05.2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् अवगत हुई कि चयन समिति द्वारा शिक्षाशास्त्र विषय में अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत सहयुक्त आचार्य के पद पर साक्षात्कार के लिए उपस्थित अभ्यर्थी को योग्य नहीं पाया गया। इस कारण इस पद को रिक्त रखे जाने का निर्णय लिया गया।

(ii) कार्यपरिषद् ने शिक्षाशास्त्र विषय में डॉ० उदय सिंह को कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत सहयुक्त आचार्य चरण 4, ए०जी०पी० रु० 9,000/- से आचार्य चरण-5 ए०जी०पी० रु० 10,000/- के पद पर प्रोन्नति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 06.05.2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुये कैरियर

	<p>एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत शिक्षाशास्त्र विषय में डॉ० उदय सिंह को उनकी अर्हता तिथि से चरण 4 ए०जी०पी रु० 9,000/- से आचार्य चरण-५ वेतनमान रु० 37,400-67,000 तथा ए०जी०पी रु० 10,000/- में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत प्रोन्नति प्रदान की।</p>
(iii)	<p>कार्यपरिषद् ने शिक्षाशास्त्र विषय में अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के चार पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 06-10 मई, 2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।</p> <p>कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए शिक्षाशास्त्र विषय में अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के चार पदों पर वेतनमान रु० 15,600-39,100 तथा ए०जी०पी० रु० 6,000/- में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित को नियुक्ति प्रदान की-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अनुपम सिंह 2. राजेश कुमार सिंह 3. मीतू सिंह 4. दुर्गेश पाल <p>कार्यपरिषद् ने शिक्षाशास्त्र विषय में अन्य पिछड़ा संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के एक पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 06-10 मई, 2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।</p> <p>कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए शिक्षाशास्त्र विषय में अन्य पिछड़ा संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के एक पद पर वेतनमान रु० 15,600-39,100 तथा ए०जी०पी० रु० 6,000/- में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित को नियुक्ति प्रदान की-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. लक्ष्मी जायसवाल <p>कार्यपरिषद् ने शिक्षाशास्त्र विषय में अनुसूचित जाति संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के दो पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 06-10 मई 2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।</p> <p>कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए शिक्षाशास्त्र विषय में अनुसूचित जाति संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के दो पदों पर वेतनमान रु० 15,600-39,100 तथा ए०जी०पी० रु० 6,000/- में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित को नियुक्ति प्रदान की-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ज्योति बाला 2. ममता चौधरी <p>कार्यपरिषद् ने चयन समिति की बैठक दिनांक 06-10 मई, 2018 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए शिक्षाशास्त्र विषय में अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत चार पदों, अन्य पिछड़ा संवर्ग के अन्तर्गत एक पद एवं अनुसूचित जाति संवर्ग के अन्तर्गत दो पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतीक्षा सूची में निम्नलिखित अभ्यर्थियों को रखा है –</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. भानु प्रताप सिंह (अनारक्षित संवर्ग) 2. अमित कुमार सिंह (अनारक्षित संवर्ग) 3. विनय कुमार सिंह (अनारक्षित संवर्ग) 4. अंकिता सिंह (अनारक्षित संवर्ग) 5. प्रवीन कुमार (अन्य पिछड़ा संवर्ग) 6. ऋषिकेश विश्वकर्मा (अन्य पिछड़ा संवर्ग) 7. जितेन्द्र कुमार (अनुसूचित जाति संवर्ग) 8. वृजेश लाल दिवाकर (अनुसूचित जाति संवर्ग)
1-(ज) (i)	<p>कार्यपरिषद् ने इलेक्ट्रानिक्स विषय में अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत सहयुक्त आचार्य के एक पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 01.07.2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।</p> <p>कार्यपरिषद् अवगत हुई कि चयन समिति द्वारा इलेक्ट्रानिक्स विषय में अनारक्षित</p>

संवर्ग के अन्तर्गत सहयुक्त आचार्य के एक पद पर नियुक्ति हेतु किसी भी अभ्यर्थी को योग्य नहीं पाया गया। इस कारण इस पद को रिक्त रखे जाने का निर्णय लिया गया।

(ii) कार्यपरिषद् ने इलेक्ट्रानिक्स विषय में डॉ मनीष मिश्रा को कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत सहयुक्त आचार्य चरण 4, ए0जी0पी रु0 9,000/- से आचार्य चरण-5 ए0जी0पी रु0 10,000/- के पद पर प्रोन्नति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 01.07.2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुये कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत इलेक्ट्रानिक्स विषय में डॉ मनीष मिश्रा को उनकी अर्हता तिथि से चरण 4 ए0जी0पी रु0 9,000/- से आचार्य चरण-5 वेतनमान रु0 37,400-67,000 तथा ए0जी0पी रु0 10,000/- के पद पर विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत प्रोन्नति प्रदान की।

(iii) कार्यपरिषद् ने इलेक्ट्रानिक्स विषय में अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के एक पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 01 जुलाई, 2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए इलेक्ट्रानिक्स विषय में अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के एक पद पर वेतनमान रु0 15,600-39,100 तथा ए0जी0पी0 रु0 6,000/- में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित को नियुक्ति प्रदान की—

1. कुसुम रावत

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की बैठक दिनांक 01 जुलाई, 2018 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए इलेक्ट्रानिक्स विषय में अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत एक पद पर नियुक्ति हेतु प्रतीक्षा सूची में निम्नलिखित अभ्यर्थियों को रखा है—

1. कौशल झा (अनारक्षित संवर्ग)

1-(ट) (i) कार्यपरिषद् ने गृह विज्ञान विषय में डॉ0 (श्रीमती) दिव्या रानी सिंह को कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत सहयुक्त आचार्य चरण 4, ए0जी0पी रु0 9,000/- से आचार्य चरण-5 ए0जी0पी रु0 10,000/- में प्रोन्नति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 29.06.2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुये कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत गृह विज्ञान विषय में डॉ0(श्रीमती) दिव्या रानी सिंह को उनकी अर्हता तिथि से चरण 4 ए0जी0पी रु0 9,000/- से आचार्य चरण-5 वेतनमान रु0 37,400-67,000 तथा ए0जी0पी रु0 10,000/- में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत प्रोन्नति प्रदान की।

कार्यपरिषद् ने गृह विज्ञान विषय में अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के दो पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 29-30 जून, 2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए गृह विज्ञान विषय में अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के दो पदों पर वेतनमान रु0 15,600-39,100 तथा ए0जी0पी0 रु0 6,000/- में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित को नियुक्ति प्रदान की—

1. अनुपमा कौशिक

2. नीता सिंह

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की बैठक दिनांक 30 जून, 2018 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए गृह विज्ञान विषय में अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत दो पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतीक्षा सूची में निम्नलिखित अभ्यर्थियों को रखा है—

1. दीपशिखा पाण्डेय (अनारक्षित संवर्ग)
2. अंजनी रानी (अनारक्षित संवर्ग)

1—(ठ) (i) कार्यपरिषद् ने भौतिकी विषय में अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत आचार्य के एक पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 25.05.2018 की संस्तुतियों पर विचार किया। कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए अनारक्षित संवर्ग के आचार्य के एक पद पर डॉ शान्तनु रस्तोगी को भौतिकी विषय में आचार्य पद पर वेतनमान रु० 37,400-67,000 तथा ए०जी०पी० रु० 10,000/- में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत नियुक्ति प्रदान की।

कार्यपरिषद् ने भौतिकी विषय में डॉ राकेश कुमार तिवारी को कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत सहयुक्त आचार्य चरण 4, ए०जी०पी० रु० 9,000/- से आचार्य चरण—5 ए०जी०पी० रु० 10,000/- के पद पर प्रोन्नति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 25.05.2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुये कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत भौतिकी विषय में डॉ राकेश कुमार तिवारी को उनकी अर्हता तिथि से चरण 4 ए०जी०पी० रु० 9,000/- से आचार्य चरण—5 वेतनमान रु० 37,400-67,000 तथा ए०जी०पी० रु० 10,000/- के पद पर विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत प्रोन्नति प्रदान की।

(ii) कार्यपरिषद् ने भौतिकी विषय में अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के दस पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 25-30 मई, 2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए भौतिकी विषय में अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के दस पदों पर वेतनमान रु० 15,600-39,100 तथा ए०जी०पी० रु० 6,000/- में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित को नियुक्ति प्रदान की—

1. अमित कुमार सिंह चौहान
2. अंबरीश कुमार श्रीवास्तव
3. निखिल कुमार
4. उदयभान सिंह
5. मदन सिंह चौहान
6. प्रशांत शाही
7. विनीत कुमार सिंह
8. कृष्ण मणि मिश्रा
9. अपरा त्रिपाठी
10. मनोज कुमार द्विवेदी

कार्यपरिषद् ने भौतिकी विषय में अन्य पिछ़ा संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के तीन पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 25-30 मई, 2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए भौतिकी विषय में अन्य पिछ़ा संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के तीन पदों पर वेतनमान रु० 15,600-39,100 तथा ए०जी०पी० रु० 6,000/- में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित को नियुक्ति प्रदान की—

1. दीपाश शेखर सैनी
2. राजन वालिया
3. दीपेन्द्र शर्मा

कार्यपरिषद् ने भौतिकी विषय में अनुसूचित जाति संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के तीन पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 25-30 मई, 2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए भौतिकी विषय में अनुसूचित जाति संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के तीन पदों पर वेतनमान रु० 15,600-39,100 तथा ए०जी०पी० रु० 6,000/- में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित को नियुक्ति प्रदान की—

अन्तर्गत निम्नलिखित को नियुक्ति प्रदान की—

1. मणीन्द्र कुमार
2. सिंटु कुमार
3. प्रभुनाथ प्रसाद

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की बैठक दिनांक 25–30 मई, 2018 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए भौतिकी विषय में अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत दस पदों, अन्य पिछड़ा संवर्ग के अन्तर्गत तीन पदों एवं अनुसूचित जाति संवर्ग के अन्तर्गत तीन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतीक्षा सूची में निम्नलिखित अभ्यर्थियों को रखा है –

1. विजय कुमार श्रीवास्तव (अनारक्षित संवर्ग)
2. लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी (अनारक्षित संवर्ग)
3. दीपक त्रिपाठी (अनारक्षित संवर्ग)
4. विमल कुमार तिवारी (अनारक्षित संवर्ग)
5. विनय कुमार शुक्ला (अनारक्षित संवर्ग)
6. राकेश कुमार राय (अनारक्षित संवर्ग)
7. प्रशान्त कुमार श्रीवास्तव (अनारक्षित संवर्ग)
8. सत्येन्द्र प्रकाश पाल (अनारक्षित संवर्ग)
9. मनीष कुमार तिवारी (अनारक्षित संवर्ग)
10. उपेन्द्र कमार सिंह कुशवाहा (अन्य पिछड़ा संवर्ग)
11. अमित कुमार सिंह (अन्य पिछड़ा संवर्ग)
12. बृजेश कुमार (अन्य पिछड़ा संवर्ग)
13. हेम पाल सिंह (अनुसूचित जाति संवर्ग)
14. राजीव कुमार (अनुसूचित जाति संवर्ग)
15. गिरीश चन्द्र (अनुसूचित जाति संवर्ग)

1-(ड) कार्यपरिषद् ने रसायनशास्त्र विषय में अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत आचार्य के दो पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 12.05.2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् अवगत हुई कि चयन समिति द्वारा रसायनशास्त्र विषय में अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत आचार्य के दो पदों पर नियुक्ति हेतु किसी भी अभ्यर्थी को योग्य नहीं पाया गया। इस कारण इस पद को रिक्त रखे जाने का निर्णय लिया गया।

(ii) कार्यपरिषद् ने रसायनशास्त्र विषय में अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत सहयुक्त आचार्य के चार पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 12.05.2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत रसायनशास्त्र विषय में सहयुक्त आचार्य के पद पर वेतनमान रु 37,400-67,000 तथा ए0जी0पी रु 9,000/- में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित की वरिष्ठता क्रम में नियुक्ति प्रदान की—

1. निखिल कान्त शुक्ला
2. अखिलेश कुमार श्रीवास्तव
3. सोम शंकर

कार्यपरिषद् ने रसायनशास्त्र विषय में अनुसूचित जाति संवर्ग के अन्तर्गत सहयुक्त आचार्य के एक पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 12.05.2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत रसायनशास्त्र विषय में सहयुक्त आचार्य के एक पद पर वेतनमान रु 37,400-67,000 तथा ए0जी0पी रु 9,000/- में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित को नियुक्ति प्रदान की

1. नेत्र पाल सिंह

(iii) कार्यपरिषद् ने रसायनशास्त्र विषय में अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के दस पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 12–19 मई, 2018 की संस्तुतियों पर

विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए रसायनशास्त्र विषय में अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के दस पद पर वेतनमान रु० 15,600-39,100 तथा ए०जी०पी० रु० 6,000/- में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित को नियुक्ति प्रदान की—

1. नग्रता सिंह
2. सीमा भिश्रा
3. सर्वेश कुमार पाण्डेय
4. राकेश कुमार भिश्रा
5. सचिन कुमार सिंह
6. विमलेन्दु अधिकारी
7. आलोक कुमार सिंह
8. अत्रेश कुमार सिंह
9. गीता सिंह
10. राजलक्ष्मी भिश्रा

कार्यपरिषद् ने रसायनशास्त्र विषय में अन्य पिछड़ संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के चार पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 12-19 मई, 2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए रसायनशास्त्र विषय में अन्य पिछड़ा संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के चार पदों पर वेतनमान रु० 15,600-39,100 तथा ए०जी०पी० रु० 6,000/- में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित को नियुक्ति प्रदान की—

1. आरती विश्वकर्मा
2. आलोक कुमार चौधरी
3. कमलेश सिंह यादव
4. प्रीति गुप्ता

कार्यपरिषद् ने रसायनशास्त्र विषय में अनुसूचित जाति संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के चार पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 12-19 मई, 2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए रसायनशास्त्र विषय में अनुसूचित जाति संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य के चार पदों पर वेतनमान रु० 15,600-39,100 तथा ए०जी०पी० रु० 6,000/- में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित को नियुक्ति प्रदान की—

1. एकता सोनकर
2. विनीता
3. आनंद रत्नम
4. प्रदीप कुमार राव

कार्यपरिषद् ने चयन समिति की बैठक दिनांक 12-19 मई, 2018 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए रसायनशास्त्र विषय में अनारक्षित संवर्ग के अन्तर्गत दस पदों, अन्य पिछड़ा संवर्ग के अन्तर्गत चार पदों एवं अनुसूचित जाति संवर्ग के अन्तर्गत चार पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतीक्षा सूची में निम्नलिखित अभ्यर्थियों को रखा है—

1. वेंकटेश कुमार पाण्डेय (अनारक्षित संवर्ग)
2. ज्ञानेश्वर कुमार राव (अनारक्षित संवर्ग)
3. अभिनव रघुवंशी (अनारक्षित संवर्ग)
4. अजय कुमार सिंह (अनारक्षित संवर्ग)
5. गिरिजेश कुमार (अनारक्षित संवर्ग)
6. प्रियंका श्रीवास्तव (अनारक्षित संवर्ग)
7. दिव्य प्रताप सिंह (अनारक्षित संवर्ग)
8. दिव्या तिवारी (अनारक्षित संवर्ग)
9. अन्विता श्रीवास्तव (अनारक्षित संवर्ग)

10. श्रेया त्रिपाठी (अनारक्षित संवर्ग)
11. अनुश्री (अन्य पिछड़ा संवर्ग)
12. रत्ना चौहान (अन्य पिछड़ा संवर्ग)
13. रोहित कुमार राय (अन्य पिछड़ संवर्ग)
14. अतुल कुमार सिंह (अन्य पिछड़ संवर्ग)
15. संतोष पासवान (अनुसूचित जाति संवर्ग)
16. करुनामयी रजक (अनुसूचित जाति संवर्ग)
17. रश्मी गौर (अनुसूचित जाति संवर्ग)
18. चन्द्र सौरव आजाद (अनुसूचित जाति संवर्ग)

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दु पर विचार	
1	<p>कार्यपरिषद् ने जनजाति विकास योजनात्तर्गत विश्वविद्यालय परिसर में बालिका छात्रावास के निर्माण कार्य हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिंग, लखनऊ के प्रबन्ध निदेशक श्री ए० के० सिंह के पत्र संख्या 368-71/स०क०नि० (बालिका छात्रावास)/2018-19 दिनांक 23.05.2018 पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने निर्णय लिया कि यदि बालिका छात्रावास का निर्माण केवल विश्वविद्यालय की छात्राओं के लिए होगा तथा उसका नियंत्रण विश्वविद्यालय के अधीन होगा तो विश्वविद्यालय अपनी भूमि समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध करायेगा। विश्वविद्यालय के बाहर की छात्राओं के लिए बालिका छात्रावास के निर्माण के लिए कार्यपरिषद् ने विश्वविद्यालय द्वारा अपनी भूमि समाज कल्याण को उपलब्ध कराने से इनकार किया।</p>
2	<p>कार्यपरिषद् ने विश्वविद्यालय के खिलाफ समाचार पत्रों, फेसबुक, एड्रॉयड र्मार्ट फोन इत्यादि में माध्यम से विश्वविद्यालय की छवि को धूमिल किये जाने के कतिपय प्रयासों पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने इसका संज्ञान लेते हुए इस सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु मा० कुलपति जी को अधिकृत किया।</p>

प्रो० अजेय कुमार गुप्ता, सदस्य-कार्यपरिषद् ने "शैक्षिक संवर्ग के विभिन्न पदों पर किए गये विज्ञापन के सापेक्ष दिनांक 01 मई, 2018 से दिनांक 01 जुलाई, 2018 तक सम्पन्न चयन समिति की संस्तुतियों पर" अपनी विनम्र असहमति (Dissent) दर्ज करायी। (प्रतिलिपि संलग्न)

डॉ० विरेन्द्र मणि त्रिपाठी, सदस्य – कार्यपरिषद् द्वारा अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।



कुलसाचिव



कुलपति



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
कार्य परिषद् की बैठक दिनांक : 07.10.2018 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	प्रो० विजय कृष्ण सिंह	कुलपति / अध्यक्ष
2.	प्रो० एस०के० दीक्षित	प्रति—कुलपति
3.	प्रो० गोपीनाथ	सदस्य
4.	प्रो० अजेय कुमार गुप्ता	सदस्य
5.	प्रो० लल्लन यादव	सदस्य
6.	प्रो० कमलेश कुमार गौतम	सदस्य
7.	प्रो० आलोक कुमार गोयल	सदस्य
8.	प्रो० सी०पी० श्रीवास्तव	सदस्य
9.	प्रो० जितेन्द्र मिश्र	सदस्य
10.	श्री हेमशंकर बाजपेयी	सदस्य
11.	श्री धर्मेन्द्र नाथ वर्मा,	सदस्य
12.	डॉ० ओंकार नाथ मिश्र	सदस्य
13.	डॉ० जे०के० लाल	सदस्य
14.	डॉ० अरविन्द कुमार सिंह	सदस्य
15.	डॉ० वीरेन्द्र मणि त्रिपाठी	सदस्य
16.	डॉ० महेन्द्र कुमार अग्रवाल	सदस्य
17.	श्री प्रमथ नाथ मिश्र	सदस्य
18.	श्री प्रमोद मातनहेलिया	सदस्य
19.	डॉ० रविशंकर सिंह	विशेष आमंत्रित सदस्य
20.	श्री वीरेन्द्र चौबे	वित्त अधिकारी
21.	कुलसचिव	सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव ने कार्य परिषद के समस्त सम्मानित सदस्यों के साथ—साथ मा० कुलपति जी का स्वागत किया। तत्पश्चात् निर्वत्तमान सदस्य प्रो० शोभा गौड़, आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, प्रो० चन्द्रशेखर, आचार्य, विधि विभाग, प्रो० रजीउर रहमान, आचार्य, उर्दू विभाग, डॉ० मधु सत्यदेव, सहयुक्त आचार्य, संस्कृत विभाग को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया एवं नवनामित सदस्य प्रो० जितेन्द्र मिश्र अधिष्ठाता, विधि संकाय, प्रो० कमलेश कुमार गौतम, आचार्य, प्राचीन इतिहास विभाग, प्रो० आलोक कुमार गोयल, आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग, श्री हेमशंकर बाजपेयी, सहयुक्त आचार्य, वाणिज्य विभाग एवं डॉ० श्री कृष्ण तिवारी, सहायक आचार्य, प्राणि विज्ञान विभाग का स्वागत करते हुए उनसे सहयोग की अपेक्षा की। इसके उपरान्त कुलसचिव ने मा० कुलपति जी के निर्देश पर कार्यसूची विचारार्थ प्रस्तुत की—

बिन्दु संख्या	प्रस्ताव एवं निर्णय
1	कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 20.04.2018 के कार्यवृत्त की संम्पुष्टि पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 20.04.2018 के कार्यवृत्त

	को सम्पुष्ट किया।
2	<p>कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 20.04.2018 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत होना।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 20.04.2018 में लिए गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत हुई एवं कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया।</p>
3	<p>कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 29.04.2018 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 29.04.2018 के कार्यवृत्त को निम्नलिखित संशोधन के साथ सम्पुष्ट किया।</p> <p>कार्यपरिषद् की बैठक में प्रो० अजय कुमार गुप्ता देर से आते ही अध्यक्ष महोदय की अनुमति के बिना वह जोर-जोर से शोर करने लगे जिससे कार्यपरिषद् कार्यवाही में बाधा उत्पन्न हुई।</p> <p>प्रो० गुप्ता कार्यपरिषद् की बैठक में देरी से आये थे, इस पर उन्होंने कहा कि वह 30 मिनट की देरी से नहीं बल्कि 11 मिनट की देरी से आये थे। प्रो० गुप्त के देरी से आने का विनिश्चय बैठक की वीडियो रिकार्डिंग देख कर किया जाय।</p>
4	<p>कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 29.04.2018 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत होना।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 29.04.2018 में लिए गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत हुई एवं कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया।</p>
5	<p>कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 29.04.2018 में आंशिक संशोधन की सम्पुष्टि पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 29.04.2018 के कार्यवृत्त में आंशिक संशोधन को सम्पुष्ट किया।</p>
6	<p>कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 02.07.2018 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 02.07.2018 के कार्यवृत्त को निम्नलिखित संशोधन के साथ सम्पुष्ट किया।</p> <p>चयन समिति द्वारा भूगोल, संस्कृत एवं उर्दू विषय की सुस्तुतियों का लिफाफा खोलने के पूर्व इससे सम्बन्धित सम्मानित सदस्य बैठक से बाहर चले गये को कार्यपरिषद् ने दर्ज करने को कहा।</p>
7	<p>कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 02.07.2018 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत होना।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 02.07.2018 में लिए गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत हुई एवं कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया।</p>
8	<p>कार्यपरिषद् ने विद्या परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 24.05.2018 के संस्तुतियों पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने विद्या परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 24.05.2018 की संस्तुतियों को स्वीकार किया।</p>
9	<p>कार्यपरिषद् ने विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 03.10.2018 के संस्तुतियों पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 03.10.2018 की संस्तुतियों को स्वीकार किया।</p>
10	<p>कार्यपरिषद् ने वित्त समिति की बैठक दिनांक 18.07.2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने वित्त समिति की बैठक दिनांक 18.07.2018 की संस्तुतियों को स्वीकार किया।</p>
11	<p>कार्यपरिषद् ने वित्त समिति की बैठक दिनांक 27.09.2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने वित्त समिति की बैठक दिनांक 27.09.2018 की संस्तुतियों को स्वीकार किया।</p>
12	कार्यपरिषद् ने परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 28.06.2018 के बिन्दु संख्या-3, 4 एवं 5 की संस्तुतियों पर विचार किया।

	<p>(क) सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद ने परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 28.06.2018 के बिन्दु संख्या-3 के निर्णय- अधिष्ठाता, विधि संकाय एवं कुलसचिव की गठित समिति की संस्तुति (".....श्री रामाश्रय प्रसाद ने 1981-82 में स्नातक की परीक्षा (अग्रेजी, अर्थशास्त्र एवं भूगोल) विषय के साथ उत्तीर्ण करने के बाद बिना ब्रिज कोर्स किये स्नातक में लिए गये भिन्न विषय से वर्ष-2000 में स्नातकोत्तर (एम०ए०) की उपाधि समाजाशास्त्र विषय से साथ प्राप्त किया जो नियम संगत नहीं है। अतः समिति ने श्री रामाश्रय प्रसाद की स्नातकोत्तर (एम०ए०) समाजाशास्त्र-2000 की उपाधि निरस्त करने की संस्तुति करती है।") को प्रवेश समिति द्वारा स्वीकार करने के क्रम में विस्तृत विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने श्री रामाश्रय प्रसाद पुत्र स्व० रक्षा प्रसाद (स्नातकोत्तर, समाजाशास्त्र, सत्र 1998-2000) की अंकतालिका को निरस्त करते हुए, इनकी उपाधि निरस्त करने हेतु कार्यपरिषद को सन्दर्भित किया" के क्रम में परीक्षा समिति के निर्णय को अनुमोदित करते हुए विश्वविद्यालय सभा (कोर्ट) से अनुमोदन के अधीन उपाधि निरस्त करने की संस्तुति को स्वीकार किया।</p> <p>(ख) सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद ने परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 28.06.2018 के बिन्दु संख्या-4 के निर्णय "समिति ने सर्वसम्मति से प्रवेश समिति के निर्णय को स्वीकार करते हुए एक ही समय में दो विश्वविद्यालयों से बी०ए० उत्तीर्ण करने के कारण आदर्श सिंह पुत्र श्री जंगबहादुर सिंह बी०ए० भाग एक वर्ष-2013 अनुक्रमांक-6010011877, बी०ए० भाग दो वर्ष-2014, अनुक्रमांक-7060010695, बी०ए० भाग तीन वर्ष-2015 अनुक्रमांक-1510110010683, परीक्षा केन्द्र-दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर एवं राधेश्याम पुत्र श्री रमेश चन्द्र यादव, बी०ए० भाग एक वर्ष-2006, अनुक्रमांक-164663, बी०ए० भाग दो वर्ष-2007, अनुक्रमांक-131246, बी०ए० भाग तीन वर्ष-2008, अनुक्रमांक-1061110325, परीक्षा केन्द्र-बी०आर०डी०बी०डी० पी०जी० काजेज, आश्रम बरहज देवरिया का अंक पत्र निरस्त करने का निर्णय लिया एवं उपाधि निरस्त करने हेतु कार्यपरिषद को सन्दर्भित किया गया" के क्रम में परीक्षा समिति के निर्णय को अनुमोदित करते हुए विश्वविद्यालय सभा (कोर्ट) से अनुमोदन के अधीन उपाधि निरस्त करने की संस्तुति को स्वीकार किया।</p> <p>(ग) सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद ने परीक्षा समिति के बिन्दु संख्या-5 का अनुमोदन किया।</p>
13	कार्यपरिषद ने विकास समिति की बैठक दिनांक 31.07.2018 की संस्तुति पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद ने विकास समिति की बैठक दिनांक 31.07.2018 की संस्तुतियों को स्वीकार किया।
14	कार्यपरिषद ने विद्यार्थी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बरडीहा कुशीनगर एवं किसान पैकोली हाटा, कुशीनगर को बी०ए८० की मान्यता के सम्बन्ध में गठित समिति की आख्या/संस्तुति पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद ने विद्यार्थी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बरडीहा कुशीनगर एवं किसान पैकोली हाटा, कुशीनगर को बी०ए८० की मान्यता के सम्बन्ध में अधिष्ठाता, (शिक्षा संकाय) की अध्यक्षता में गठित समिति की आख्या/संस्तुति को स्वीकार किया। समिति की आख्या/संस्तुति के अनुसार आगे की कार्यवाही करने का कार्यपरिषद ने निर्णय लिया।
15	कार्यपरिषद ने विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों (सूची संलग्न) में शैक्षिक सत्र 2018-19 में दिनांक 01.07.2018 से सम्बद्धता समिति द्वारा प्रदान की गयी सम्बद्धता की स्वीकृति पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद ने विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2018-19 में दिनांक 01.07.2018 से सम्बद्धता समिति द्वारा प्रदान की गयी सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की (सूची संलग्न)।
16	कार्यपरिषद ने शासनादेश की तिथि दिनांक 26.09.2013 से पदनाम परिवर्तन का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में विधिक सलाहकार, श्री राजेश्वर पाण्डेय द्वारा दी गयी विधिक राय पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद ने दिनांक 17.07.2016 के कार्यपरिषद की बैठक में लिये गये निर्णय में सशोधन करते हुये पदनाम परिवर्तन का लाभ शासनादेश की तिथि दिनांक 26.09.2013 से वित्त समिति द्वारा गठित कमेटी की

	रिपोर्ट को पूर्णतः लागू करते हुए विभिन्न पद कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक, प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पदनाम प्रदान करने का निर्णय लिया।
17	<p>कार्यपरिषद् ने विश्वविद्यालय में दीक्षान्त समारोह के अवसर पर स्मृति स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने हेतु इस सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा निर्भित नियमावली के अनुमोदन हेतु संयोजक, प्रो० एस०के० दीक्षित के पत्र दिनांक 04.07.2018 पर विचार किया।</p> <p>सम्यक विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने दीक्षान्त समारोह के अवसर पर स्मृति स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने हेतु गठित समिति द्वारा निर्भित नियमावली का अनुमोदन प्रदान किया।</p>
18	<p>कार्यपरिषद् ने भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1948 की धारा 3(डी) के अधीन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के कोर्ट से विश्वविद्यालय प्रतिनिधि निर्वाचित करने के सम्बन्ध में डॉ० राजीव गुलाटी, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, पूर्वान्वय इन्टीच्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस गीडा, गोरखपुर के पत्र पर विचार किया।</p> <p>सम्यक विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने निर्णय लिया कि भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1948 की धारा 3(डी) के अधीन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के कोर्ट से विश्वविद्यालय प्रतिनिधि निर्वाचित करने के सम्बन्ध में कोर्ट गठन की प्रक्रिया प्रारम्भ करके आगामी तीन माह में प्रक्रिया पूर्ण कर लिया जाय। इस सम्बन्ध में यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय कोर्ट (समा) के चुनाव हेतु गठित समिति के संयोजक प्रो० वी०एस० वर्मा, गणित एवं सांख्यिकी विभाग त्वरित कार्यवाही हेतु कहा जाय।</p>
19	<p>कार्यपरिषद् ने मेडिकल कॉसिल अधिनियम, 1956 की धारा 3(1) (b) के अन्तर्गत मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया में विश्वविद्यालय औषधि संकाय के प्रतिनिधि का चुनाव कर निर्धारित प्रारूप पर भेजने के सम्बन्ध में अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र पर विचार किया।</p> <p>सम्यक विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने निर्णय लिया कि मेडिकल कॉसिल अधिनियम, 1956 की धारा 3(1) (b) के अन्तर्गत मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया में विश्वविद्यालय औषधि संकाय के प्रतिनिधि का चुनाव कर भेजने की प्रक्रिया पर बिन्दु संख्या 18 पर लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाय। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि इस हेतु अधिष्ठाता—औषधि संकाय से आवश्यक कार्यवाही करने हेतु पत्र लिखा जाय।</p>
20	<p>कार्यपरिषद् ने इण्डियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च (आई०सी०एम०आर) में मेडिकल कॉसिल अधिनियम, 1956 की धारा 3(1) (b) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय औषधी संकाय के दो प्रतिनिधि नामित करने के सम्बन्ध में प्रो० फुरकान कमर, महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ के पत्र पर विचार किया।</p> <p>कार्यपरिषद् द्वारा बिन्दु संख्या—18 एवं 19 पर निर्णय लिया जा चुका है इसलिए पुनः विचार करने की आवश्यकता नहीं है।</p>
21	<p>कार्यपरिषद् ने एम्स, नई दिल्ली में मेडिकल कॉसिल अधिनियम, 1956 की धारा 3(1) (b) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय औषधी संकाय के एक प्रतिनिधि नामित करने के सम्बन्ध में श्री रविन्द्र प्रसाद, आई०एन०आई के पत्र पर विचार किया।</p> <p>कार्यपरिषद् द्वारा बिन्दु संख्या—18 एवं 19 पर निर्णय लिया जा चुका है इसलिए पुनः विचार करने की आवश्यकता नहीं है।</p>
22	<p>कार्यालय आदेश संख्या 5452 / सा०प्र० / 2018 दिनांक 02.06.2018 द्वारा मा० कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में प्रो० शैलजा सिंह के दिनांक 17.06.2018 को अधिवर्षता आयु पूर्ण करते हुए सेवानिवृत्ति होने के फलस्वरूप चक्रानुक्रम में शिक्षा संकाय के वरिष्ठ आचार्य प्रो० सुभित्रा सिंह को दिनांक 18.06.2018 से सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक 30.06.2018 तक विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष नियुक्त करने तथा प्रो० सुभित्रा सिंह, आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग के दिनांक 30.06.2018 को सेवानिवृत्ति होने के फलस्वरूप वरिष्ठता क्रम में आ रहे प्रो० नरेश प्रसाद भोक्ता, आचार्य शिक्षाशास्त्र विभाग को दिनांक 01.07.2018 से तीन वर्ष अथवा सेवानिवृत्ति होने अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो तक के लिए विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष शिक्षा संकाय नियुक्त सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।</p>

	कार्यपरिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।
23	<p>कार्यालय आदेश संख्या 5453 /सा0प्र0 /2018 दिनांक 04.06.2018 द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय परिनियम की धारा 02.20 (यथा संसोधित) में प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार डॉ० दीप नरायण यादव के पश्चात प्रो० द्वारका नाथ को दिनांक 08.6.2018 से तीन वर्ष अथवा सेवानिवृत्त होने अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो तक के लिए विभागाध्यक्ष नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।</p> <p style="text-align: center;">कार्यपरिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।</p>
24	<p>कार्यालय आदेश संख्या 6215 /सा0प्र0 /2018 दिनांक 18.06.2018 द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में प्रो० नरेश प्रसाद भोक्ता को दिनांक 01.07.2018 से तीन वर्ष अथवा सेवानिवृत्त होने तक अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो तक के लिए प्रौढ़ सत्त एवं प्रसार शिक्षा विभाग के अध्यक्ष के कार्यों का भी सम्पादन करेंगे सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।</p> <p style="text-align: center;">कार्यपरिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।</p>
25	<p>कार्यालय आदेश संख्या 6749 /सा0प्र0 /2018 दिनांक 28.06.2018 द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम 02.20 (यथा संसोधित) में प्रावधानित व्यवस्था के अधीन चक्रानुक्रम के अन्तर्गत वरिष्ठतम् आचार्य प्रो० शीतला प्रसाद सिंह को दिनांक 10.07.2018 से तीन वर्ष अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।</p> <p style="text-align: center;">कार्यपरिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।</p>
26	<p>कार्यालय आदेश संख्या 6752 /सा0प्र0 /2018 दिनांक 30.06.2018 द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में श्री कौशल किशोर दूबे (सेवानिवृत्त) प्रशासनिक अधिकारी, परीक्षा गोपनीय को शासनादेश संख्या—सी—३—१३२९१ /दस—९७—९३० /८३ दिनांक 27 सितम्बर, 1997 के क्रम संख्या—६ में दी गई व्यवस्था के अनुसार विशेष कार्याधिकारी के रूप में सेवानिवृत्ति के उपरान्त 01 जलाई, 2018 से एक वर्ष के लिए अथवा अन्य आदेश होने तक, जो भी पहले हो पुर्णियोजित किये जाने की कार्योत्तर अनुमति के सम्बन्ध में अवगत होना।</p> <p style="text-align: center;">कार्यपरिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए अनुमोदन प्रदान किया।</p>
27	<p>कार्यालय आदेश संख्या 7217 /सा0प्र0 /2018 दिनांक 07.07.2018 द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 27(4) (यथा संसोधित) में प्रावधानित व्यवस्था के अन्तर्गत डॉ० श्रीकान्त दीक्षित, अधिष्ठाता कला संकाय एवं आचार्य, भूगोल विभाग के दिनांक 09.07.2018 को अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त कला संकाय के वरिष्ठतम् आचार्य डॉ० चन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव, आचार्य, दर्शनशास्त्र विभाग को दिनांक 10. 07.2018 से तीन वर्ष अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए अधिष्ठाता—कला संकाय नियुक्त करने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।</p> <p style="text-align: center;">कार्यपरिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।</p>
28	<p>कार्यालय आदेश संख्या—7248 /सा0प्र0 /2018 दिनांक 11.07.2018 द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में छात्रावास नियमावली 3.01 के अन्तर्गत प्रो०(श्रीमती) शोभा गौड़, आचार्य शिक्षाशास्त्र विभाग को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष अथवा अन्य आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए अलकनन्दा महिला छात्रावास का अभिरक्षक नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।</p> <p style="text-align: center;">कार्यपरिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।</p>
29	<p>कार्यालय आदेश संख्या—7408 /सा0प्र0 /2018 दिनांक 13.07.2018 द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेश के अनुपालन डॉ० नम्रता सिंह, सहायक आचार्य, रसायनशास्त्र विभाग को दिनांक 06.07. 2018 से 05.08.2018 तक अवैतनिक अवकाश स्वीकृति सम्बन्धी आदेश से अतगत होना एवं कार्यालय आदेश संख्या—027 /सा0प्र0 /2018 दिनांक 30.08.2018 के द्वारा डॉ० नम्रता सिंह, सहायक आचार्य, रसायनशास्त्र विभाग को दिनांक 06.08.2018 से 20.09.2018 तक अवैतनिक अवकाश की स्वीकृति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना, तदक्रम में डॉ० नम्रता सिंह द्वारा सहायक आचार्य पद से इस्तीफा देने के सम्बन्ध में दिनांक 21.09.2018 को दिये गये आवेदन पर विचार किया।</p>

	<p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने कार्यालय आदेश संख्या-7408/सा०प्र०/2018 दिनांक 13.07.2018 एवं कार्यालय आदेश संख्या-027/सा०प्र०/2018 दिनांक 30.08.2018 द्वारा मा० कुलपति जी के आदेश के अनुपालन डॉ० नम्रता सिंह, सहायक आचार्य, रसायनशास्त्र विभाग को दिनांक 06.07.2018 से 05.08.2018 एवं दिनांक 06.08.2018 से 20.09.2018 तक अवैतनिक अवकाश स्वीकृति सम्बन्धी आदेश को अस्वीकार किया एवं डॉ० नम्रता सिंह द्वारा सहायक आचार्य पद से इस्तीफा देने सम्बन्धी आवेदन पत्र दिनांक 21.09.2018 पर विचार करते हुए इनके त्यागपत्र को स्वीकार किया।</p>
30	<p>प्रो. सुभिता भट्टाचार्य, अंग्रेजी विभाग को दिनांक 04.08.2018 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान करने के सन्दर्भ पत्र संख्या 7371/सा०प्र०/2018 दिनांक 25.07.2018 द्वारा विशेष सचिव, उच्च शिक्षा (अनुभाग-6) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को प्रषित पत्र से अवगत होना।</p> <p>कार्यपरिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।</p>
31	<p>शासन के पत्र संख्या-14/सत्तर-1-2015-(16)/2012 दिनांक 24 फरवरी, 2015 द्वारा "भविष्य में चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद (कनिष्ठ वर्ग को प्राविधिक पदों को छोड़कर) पर नियुक्ति नहीं की जायगी तथा चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों के सम्बन्ध में आउटसोर्सिंग के माध्यम से व्यवस्था की जायेगी की व्यवस्था को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-50(6) के अन्तर्गत समस्त राज्य विश्वविद्यालयों की प्रथम परिनियमावली के परिनियम में सुसंगत स्थान पर सम्मिलित करने सम्बन्धी माननीय श्री राज्यपाल महोदय की स्वीकृति/सहमति से अवगत होना।</p> <p>कार्यपरिषद् प्रस्तुत आदेश से अवगत हुई।</p>
32	<p>अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 269/सत्तर-1-2018-16(35)/2017 दी०सी० दिनांक 25 जुलाई, 2018 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-50(6) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमावली में शिक्षकों के लिए विशेष अवकाश का प्राविधान किये जाने तथा असाधारण अवकाश के प्राविधानों में आंशिक संसोधन किये जाने को विश्वविद्यालय के परिनियम में सम्मिलित किये जाने के माननीय श्री राज्यपाल के आदेश से अवगत होना।</p> <p>कार्यपरिषद् प्रस्तुत आदेश से अवगत हुई।</p>
33	<p>अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-270/सत्तर-1-2018-16(140)/2017 दिनांक 12 जुलाई, 2018 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-50(6) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमावली में राज्य विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षणेत्र कर्मचारीयों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमन्य सुविधा को विश्वविद्यालय के परिनियम में सम्मिलित किये जाने के माननीय श्री राज्यपाल के आदेश से अवगत होना।</p> <p>कार्यपरिषद् प्रस्तुत आदेश से अवगत हुई।</p>
34	<p>उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 50(6) में विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमावली में प्राचार्य हेतु सामान्य पात्रता मानदण्ड के पश्चात "परन्तु अनानुदानित/स्ववित्तपोषित अशासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य हेतु सामान्य पात्रता मानदण्ड को सम्मिलित किये जाने हेतु अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-6/2018/597/सत्तर-1-2018-16(123)/2015 दिनांक 06 अगस्त, 2018 द्वारा प्राप्त निर्देश से अवगत होना।</p> <p>कार्यपरिषद् प्रस्तुत आदेश से अवगत हुई।</p>
35	<p>कार्यालय आदेश संख्या 119/सा०प्र०/2018 दिनांक 5.08.2108 के द्वारा मा० कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में प्रो० परमहंस पाठक, आचार्य, प्राणि विज्ञान विभाग को सहयुक्त आचार्य की अहंता तिथि दिनांक 23.08.2010 एवं आचार्य पर पर अहंता तिथि दिनांक 23.08.2013 से निर्धारित करने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।</p> <p>कार्यपरिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए निर्णय निर्णय लिया कि चूँकि बिन्दु संख्या 35 एवं बिन्दु संख्या 38 एक ही प्रकार का है, इसलिए बिन्दु संख्या 35 को निरस्त मानते हुए बिन्दु संख्या 38 को अनुमोदित किया।</p>
36	<p>मा० कुलपति जी के आदेश दिनांक 05.09.2018 के द्वारा विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्य योजनाओं एवं प्रकरणों पर विचार करने के लिए समस्त अधिष्ठाताओं एवं अधिष्ठाता छात्र-कल्याण की परामर्शदात्री समिति के गठन पर विचार किया।</p>

	समयक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने विश्वविद्यालय के यथा आवश्यक विभिन्न कार्य योजनाओं एवं प्रकरणों पर विचार करने हेतु एक परामर्शदात्री समिति के गठन करने का निर्णय लिया, जिसमें समस्त अधिष्ठाता, अधिष्ठाता छात्र कल्याण, प्रति-कुलपति, परीक्षा नियंत्रक, वित्त अधिकारी एवं कुलसचिव सदस्य के रूप में रहेंगे।
37	कार्यालय आदेश संख्या : 129 / सा०प्र० / 2018 दिनांक 06.09.2018 के द्वारा मा० कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में शिक्षकों एवं कर्मचारियों को आवास आवंटित सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्यपरिषद् प्रस्तुत आदेश से अवगत हुई।
38	कार्यालय आदेश संख्या 133 / सा०प्र० / 2018 दिनांक 7.09.2018 के द्वारा मा० कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में प्रो० परमहंस पाठक, आचार्य, प्राणि विज्ञान विभाग को उपाचार्य पद की अर्हता तिथि दिनांक 23.08.2010 सहयुक्त आचार्य की अर्हता तिथि दिनांक 23.08.2013 एवं आचार्य पर पर अर्हता तिथि दिनांक 23.08.2016 से निर्धारित करने सम्बन्धी संशोधित आदेश से अवगत होना। इस बिन्दु के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या 35 पर विचार किया जा चुका है। इसलिए यहाँ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। कार्यपरिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।
39	शासनादेश संख्या 7 / 2018 / 266 सत्तर-1-2018-16(74) / 2011 दिनांक 24 अगस्त, 2018 में उल्लिखित प्रावधानों एवं इस सन्दर्भ में लिये गये निर्णय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम०फिल० / पी-एच०डी० उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2016 एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम०फिल० / पी-एच०डी० उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया), (प्रथम संशोधन) विनियम, 2018 से अवगत होना। कार्यपरिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।
40	कार्यालय आदेश संख्या-सम्बद्धता / 2018 / एन-251 / 4896 दिनांक 05.09.2018 द्वारा मा० कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में गुरु गोरक्षनाथ कालेज ऑफ नर्सिंग को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर चिकित्सा संकाय के अन्तर्गत बेसिक बी०एस-सी० (नर्सिंग) एवं पोस्ट बेसिक बी०एस-सी० (नर्सिंग) पाठ्यक्रम में केवल छात्राओं का प्रवेश मान्य होगा सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्यपरिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।
41	कार्यालय आदेश संख्या 150 / सा०प्र० / 2018 दिनांक 11.09.2108 के द्वारा मा० कुलपति जी के आदेश के अनुपालन डॉ० रजीउर रहमान, आचार्य, उर्दू विभाग को दिनांक 23.11.2017 से विश्वविद्यालय परिनियमावली (यथा संशोधित) के परिनियम 02.20 में प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार तीन वर्ष अथवा अन्य कोई आदेश, जो भी पहले हो, तक के लिए उर्दू विभाग का विभागाध्यक्ष नियुक्त सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्यपरिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।
42	कार्यालय आदेश संख्या 149 / सा०प्र० / 2018 दिनांक 11.09.2108 के द्वारा मा० कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में डॉ० उषा सिंह, आचार्य, ललित कला एवं संगीत विभाग को दिनांक 23.11.2017 से विश्वविद्यालय परिनियमावली (यथा संशोधित) के परिनियम 02.20 में प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार तीन वर्ष अथवा अन्य कोई आदेश, जो भी पहले हो, तक के लिए ललित कला एवं संगीत विभाग का विभागाध्यक्ष नियुक्त सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्यपरिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।
43	कार्यालय आदेश संख्या 1064 / कमेटी / 2018 दिनांक 20.09.2018 के द्वारा मा० कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में स्वर्गीय सरदारमल नांगलिया की स्मृति में एम०बी०ए० में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को स्मृति स्वर्ण पदक दिये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्यपरिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।
44	कार्यालय आदेश संख्या-244 / सा०प्र० / 2018 दिनांक 27.09.2018 के द्वारा मा० कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय रचरक्ष्य केन्द्र पर निर्धारित मानदेय पर नियुक्त डॉ० मनीष मोहन श्रीवारतव एवं सपना छापड़िया को पुनः एक वर्ष अथवा अग्रिम आदेश होने तक, जो भी पहले हो तक के लिए सेवा विस्तार करने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्यपरिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।
45	महायोगी गुरु श्रीगोरक्षनाथ शोधपीठ में शैक्षिक एवं शिक्षणेत्र पदों के सृजन सम्बन्धी

	<p>शासनादेश से अवगत होना।</p> <p>कार्यपरिषद् ने प्रस्तुत शासनादेश से अवगत हुई।</p>
46	<p>महायोगी गुरु श्रीगोरक्षनाथ शोधपीठ के लिए प्रस्तावित लोगों (प्रतीक चिन्ह) से अवगत होना।</p> <p>कार्यपरिषद् महायोगी गुरु श्रीगोरक्षनाथ शोधपीठ के लिए प्रस्तावित लोगों (प्रतीक चिन्ह) से अवगत हुयी।</p>
47	<p>केरल राज्य में बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या—1749 / सत्तर—3—2018 दिनांक 13 सितम्बर, 2018 पर विचार ।।</p> <p>समयक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् केरल राज्य में बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र —1749 / सत्तर—3—2018 दिनांक 13 सितम्बर, 2018 की छापा प्रति सभी संकाययोग्यक्ष/विभागाध्यक्ष/समस्त विभागों, अनुभागों को भेजने का निर्णय लिया।</p>
48	<p>स्व० मोहन सिंह द्वारा सांसद निधि से विश्वविद्यालय में निर्मित पूर्वाचल संग्रहालय का नाम “पूर्वाचल बाबू मोहन सिंह संग्रहालय” रखने हेतु पूर्व सांसद राज्य सभा, कनक लता सिंह एवं श्री राधेशयाम सिंह, पूर्व अध्यक्ष, गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के पत्र पर विचार किया।</p> <p>समयक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने स्व० मोहन सिंह द्वारा प्रदत्त सांसद निधि से विश्वविद्यालय में निर्मित पूर्वाचल संग्रहालय का नाम “मोहन सिंह भवन” करने का निर्णय लिया।</p>
49(i)	<p>हिन्दी विषय में डॉ० विमलेश कुमार मिश्र को कैरियर एडवान्समेंट योजनान्तर्गत सहयुक्त आचार्य चरण—4, ए०जी०पी० रु 9,000/- से आचार्य चरण—5 ए०जी०पी० रु10,000/- मे प्रोन्नति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 11 जुलाई, 2018 की संस्तुतियों पर विचार ।</p> <p>कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुये कैरियर एडवान्समेंट योजनान्तर्गत हिन्दी विषय में डॉ० विमलेश कुमार मिश्र को उनकी अर्हता तिथि से सहयुक्त आचार्य चरण—4, ए०जी०पी० रु 9,000/- से आचार्य चरण—5 ए०जी०पी० रु10,000/- मे विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत प्रोन्नति प्रदान की।</p>
(ii)	<p>जैव प्रोद्यौगिकी विषय में डॉ० जोन्नादा ए०वी०प्रसादा राव को कैरियर एडवान्समेंट योजनान्तर्गत सहयुक्त आचार्य चरण—4, ए०जी०पी० रु 9,000/- से आचार्य चरण—5 ए०जी०पी० रु10,000/- मे प्रोन्नति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 18 जुलाई, 2018 की संस्तुतियों पर विचार ।</p> <p>कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुये कैरियर एडवान्समेंट योजनान्तर्गत जैव प्रोद्यौगिकी विषय में डॉ० जोन्नादा ए०वी०प्रसादा राव को उनकी अर्हता तिथि से सहयुक्त आचार्य चरण—4, ए०जी०पी० रु 9,000/- से आचार्य चरण—5 ए०जी०पी० रु 10,000/- मे विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत प्रोन्नति प्रदान की।</p>
(iii)	<p>शारीरिक शिक्षा विषय में डॉ० विजय चहल को कैरियर एडवान्समेंट योजनान्तर्गत सहयुक्त आचार्य चरण—4, ए०जी०पी० रु 9,000/- से आचार्य चरण—5 ए०जी०पी० रु10,000/- मे प्रोन्नति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 04 अक्टूबर, 2018 की संस्तुतियों पर विचार ।</p> <p>कार्यपरिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुये कैरियर एडवान्समेंट योजनान्तर्गत शारीरिक शिक्षा विषय में डॉ० विजय चहल को उनकी अर्हता तिथि से सहयुक्त आचार्य चरण—4, ए०जी०पी० रु 9,000/- से आचार्य चरण—5 ए०जी०पी० रु10,000/- मे विश्वविद्यालय परिनियमावली के अन्तर्गत प्रोन्नति प्रदान की।</p>

50.	अध्यक्ष की अनुमति से विचार-
1	कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष, श्री महेन्द्र नाथ सिंह के पत्र दिनांक 4.10.2018 जिसमें चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में प्रोन्नति हेतु दिनांक 30.06.2018 को टंकण परीक्षा आयोजित की गयी थी उक्त परीक्षा को परीक्षाफल घोषित नियमावली न होने के कारण

	<p>घोषित नहीं किया जा सका। टंकण परीक्षा हेतु संलग्न शासनादेश के अनुसार नियमावली बनाने के सन्दर्भ में विचार।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने 30.06.2018 को हुयी टंकण परीक्षा को पूर्व में 8 अक्टूबर 2016 को सम्पन्न हुये टाइप टेस्ट के नियम के अनुसार मूल्यांकन कर परीक्षाफल घोषित किये जाने का निर्णय लिया तथा टाइप टेस्ट परीक्षा हेतु संलग्न नियमावली को स्वीकार करते हुये यह भी निर्णय लिया गया कि आगे इस तरह की परीक्षा हेतु संलग्न नियमावली के अनुसार ही परीक्षा करायी जाय।</p>
2	<p>डॉ० रानी धवन, उपाचार्य, यू०जी०सी०-हयूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेण्टर (एकेडेमिक स्टाफ कालेज), दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर द्वारा दिनांक 03.07.2018 को सेवानिवृत्त होने के पश्चात् सत्र लाभ देने के लिए प्रस्तुत आवेदन पर विचार।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने डॉ० रानी धवन, (सेवानिवृत्त) उपाचार्य, यू०जी०सी०-हयूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेण्टर (एकेडेमिक स्टाफ कालेज), दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर को सत्र लाभ देने के सम्बन्ध में निम्नलिखित की एक कमेटी गठित करने का निर्णय लिया, जो आगामी 15 दिन में इस विषय में अपनी आख्या कुलपति जी को प्रस्तुत करेगी—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रो० जितेन्द्र मिश्र, अधिष्ठाता—विधि संकाय— संयोजक 2. प्रो० अजेय कुमार गुप्ता — सदस्य 3. कुलसचिव — सदस्य
3.	<p>कार्यपरिषद् ने विश्वविद्यालय की बेबसाईट एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों में महाविद्यालय का नाम संशोधित करने के सन्दर्भ में प्राचार्य, चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोरखपुर के पत्र दिनांक 02.10.2018 पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने प्राचार्य, चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोरखपुर के पत्र दिनांक 02.10.2018 के साथ संलग्न प्रबन्ध समिति की कार्यवाही के आधार पर चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिल डिग्री कालेज गोरखपुर का नाम पी०जी० पाठ्यक्रम संचालित होने के कारण “चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला पी०जी० कालेज गोरखपुर” के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया। साथ ही जिन महाविद्यालयों द्वारा पी०जी० पाठ्यक्रम संचालित के आधार पर अपने महाविद्यालय के नाम के साथ पी०जी० (स्नातकोत्तर) शब्द जोड़ लिया गया है उन महाविद्यालयों के नाम संशोधन परीक्षणोपरान्त कुलपति महोदय के आदेशानुसार कर दिया जायेगा एवं इसे अगली कार्यपरिषद् की बैठक में सूचनार्थ अवगत कराने का भी नियम कार्यपरिषद् ने लिया।</p>

अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव

कुलपति

C
e



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक : 23.12.2018 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	प्रो० विजय कृष्ण सिंह	कुलपति / अध्यक्ष
2.	प्रो० एस०के० दीक्षित	प्रति-कुलपति
3.	प्रो० गोपीनाथ	सदस्य
4.	प्रो० जितेन्द्र मिश्र	सदस्य
5.	प्रो० कमलेश कुमार गौतम	सदस्य
6.	प्रो० आलोक कुमार गोयल	सदस्य
7.	प्रो० सी०पी० श्रीवास्तव	सदस्य
8.	प्रो० लल्लन यादव	सदस्य
9.	श्री हेमशंकर बाजपेयी	सदस्य
10.	डॉ० श्रीकृष्ण तिवारी	सदस्य
11.	डॉ० ओंकार नाथ मिश्र	सदस्य
12.	प्रो० रामभृत सिंह	सदस्य
13.	डॉ० वीरेन्द्र मणि त्रिपाठी	सदस्य
14.	श्री हेमन्त कुमार चोपड़ा	सदस्य
15.	डॉ० मानेन्द्र प्रताप सिंह	सदस्य
16.	श्री प्रमथ नाथ मिश्र	सदस्य
17.	प्रो० सुग्रीव नाथ तिवारी	विशेष आमंत्रित सदस्य
18.	श्री वीरेन्द्र चौबे	वित्त अधिकारी
19.	कुलसचिव	सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव एवं कुलपति जी ने समस्त सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् निवर्तमान सदस्य डॉ० अरविन्द कुमार सिंह, संत विनोबा पी०जी० कालेज, देवरिया को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया एवं नवनामित सदस्य डॉ० हेमन्त कुमार चोपड़ा, बी०आर०डी०बी०डी०पी०जी० कालेज, आश्रम बरहज, देवरिया का स्वागत करते हुए उनसे सहयोग की अपेक्षा की। इसके उपरान्त कुलसचिव ने मा० कुलपति जी के निर्देश पर कार्यसूची विचारार्थ प्रस्तुत की—

कार्यवृत्त

बिन्दु संख्या	प्रस्ताव एवं निर्णय
1	<p>कार्यपरिषद् ने विद्या परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 22.12.2018 की संस्तुतियों पर विचार किया।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने विद्या परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 22.12.2018 की संस्तुतियों को स्वीकार किया। साथ ही परिनियम की धारा 7.09 में उल्लिखित विभागों यथा—</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Mechanical Engineering 2. Electrical 3. Civil Engineering 4. Applied Sciences <p>के क्रम में निम्नलिखित विभागों को समाहित करने हेतु संस्तुति प्रदान की—</p>

5. Electronics and Communication Engineering
6. Computer Science and Engineering
Computer Science and Engineering विभाग के अन्तर्गत Information Technology विषय संचालित होगा।


2	कार्य परिषद् ने अध्यक्ष की अनुमति से निम्नलिखि प्रस्तावों पर विचार किया—
क	कार्यालय आदेश संख्या 526 / सा०प्र० / 2018 दिनांक 26.11.2018 द्वारा मा० कुलपति जी के आदेश के अनुपालन मे० श्री अनिरुद्ध सिंह, सेवानिवृत्त, अवर अभियन्ता (सिविल) को निरिचित मानदेय के आधार पर दिनांक 17.11.2018 से एक वर्ष तक अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो तक सेवा लेने के लिए विस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। कार्यपरिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।
ख	प्रो० सुग्रीव नाथ तिवारी, संयोजक, इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी संकाय स्थापना समिति द्वारा इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी संकाय हेतु तदर्थ पाठ्यक्रम समिति गठित किये जाने हेतु दिनांक 15.12.2018 को दिये गये प्रस्ताव पर मा० कुलपति जी के अनुमोदन से अवगत होना। सम्यक् विचारापरान्त कार्य परिषद् ने इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी संकाय हेतु तदर्थ पाठ्यक्रम समिति गठित किये जाने सम्बन्धी प्रो० सुग्रीव नाथ तिवारी, संयोजक, इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी संकाय स्थापना समिति के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।
ग	प्रो० सुग्रीव नाथ तिवारी, संयोजक, इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी संकाय स्थापना समिति द्वारा इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी संकाय परिषद् गठन हेतु दिनांक 15.12.2018 को दिये गये प्रस्ताव पर मा० कुलपति जी के अनुमोदन से अवगत होना। सम्यक् विचारापरान्त कार्य परिषद् ने इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी संकाय परिषद् गठित किये जाने सम्बन्धी प्रो० सुग्रीव नाथ तिवारी, संयोजक, इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी संकाय स्थापना समिति के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।
घ	कार्य परिषद् ने विश्वविद्यालय परिसर मे० अनुसूचित जाति/जनजाति बालिका छात्रावास के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था उ०प्र० राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी सं०लि० गोरखपुर के पत्र पत्र 380 / साइट प्लान दिनांक 15.12.2018 के द्वारा चयनित स्थल हेतु प्रशासनिक भवन एवं प्रो० कालोनी के चहरदीवारी के बीच प्रस्तावित स्थल का साइट प्लान पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने विश्वविद्यालय परिसर मे० अनुसूचित जाति/जनजाति बालिका छात्रावास के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था उ०प्र० राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी सं०लि० गोरखपुर के पत्र 380 / साइट प्लान दिनांक 15.12.2018 के द्वारा चयनित स्थल हेतु प्रशासनिक भवन एवं प्रो० कालोनी के चहरदीवारी के बीच प्रस्तावित स्थल का साइट प्लान को स्वीकार करने का निर्णय लिया।
ड	कार्य परिषद् ने श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव, पूर्व वित्त अधिकारी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं सेवानिवृत्त वित्त नियंत्रक सिचाई को कार्य परिषद् के नामित सदस्य के रूप में वित्त समिति मे० सदस्य के रूप में रखने हेतु वित्त अधिकारी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के पत्र दिनांक 22.12.2018 पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव, पूर्व वित्त अधिकारी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं सेवानिवृत्त वित्त नियंत्रक सिचाई को कार्य परिषद् के नामित सदस्य के रूप में वित्त समिति मे० सदस्य के रूप में रखने हेतु वित्त अधिकारी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के प्रस्ताव को को स्वीकार किया।
च	कार्य परिषद् ने श्री रामरूप, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, सामान्य प्रशासन अनुभाग के दिनांक 31.12.2018 को सेवानिवृत्त होने के उपरान्त एक वर्ष तक कार्यविस्तार देने हेतु श्री महेन्द्र




नाथ सिंह, अध्यक्ष, कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के प्रस्ताव दिनांक 22.12.2018 पर विचार किया।

सम्प्रकृत विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने श्री रामरूप, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, सामान्य प्रशासन अनुभाग के दिनांक 31.12.2018 को सेवानिवृत्त होने के उपरान्त एक वर्ष हेतु कार्यविस्तार देने हेतु श्री महेन्द्र नाथ सिंह, अध्यक्ष, कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के प्रस्ताव को स्वीकार किया।

अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।



कुलसाचिव
25/12/18



कुलपति
25/12/18

